

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2017—आषाढ़ 9, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 जून 2017

क्र. ई.-5-776-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. चन्द्रशेखर, आयएएस., कलेक्टर, जिला रतलाम को मिड केरियर प्रोग्राम जो कि दिनांक 5 से 30 जून 2017 तक, मसूरी में आयोजित है, जिसमें दिनांक 26 से 30 जून 2017 तक, विदेश ट्रेनिंग सम्मिलित है, के अनुक्रम में दिनांक 1 से 4 जुलाई 2017 तक, चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर, जिला रतलाम की उक्त ट्रेनिंग अवधि में प्रभार विभागीय आदेश क्र. ई-13-12-2017-5-एक,

दिनांक 30 मई 2017 द्वारा डॉ. अशोक भार्गव, भाप्रसे., अपर आयुक्त राजस्व उच्चैन संभाग को सौंपा गया है के तारतम्य में एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश अवधि में भी अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला रतलाम का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. चन्द्रशेखर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बी. चन्द्रशेखर द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. अशोक भार्गव, भाप्रसे., अपर आयुक्त, राजस्व उच्चैन संभाग, कलेक्टर, जिला रतलाम के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री बी. चन्द्रशेखर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. चन्द्रशेखर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2017

क्र. ई-1-182-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री स्वतंत्र कुमार सिंह (2007), कलेक्टर, मंदसौर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

(1)	(2)	(3)
2	श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (2007), कलेक्टर, मंदसौर कलेक्टर, शिवपुरी.	
3	श्रीमती तन्वी सुन्दरियाल (2010) अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम एवं अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल का अतिरिक्त प्रभार.	कलेक्टर, रतलाम
4	श्री तरूण राठी (2010), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग एवं कार्यपालक निदेशक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, भोपाल.	कलेक्टर, शिवपुरी
5	श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (2010), आयुक्त, नगरपालिक निगम, सागर.	कलेक्टर, नीमच

भोपाल, दिनांक 9 जून 2017

क्र. ई-1-399-2016-5-एक.—राज्य शासन निम्नलिखित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने कालम (4) में उल्लिखित तिथि से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त करता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापना	सेवानिवृत्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री व्ही. के बाथम, (भाप्रसे. 1992), 5-6-1957.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग.	30-6-2017 (अपराह)
2	श्रीमती सूरज डामोर, (भाप्रसे. 1994), 16-6-1957.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.	30-6-2017 (अपराह)
3	श्री के. पी. राही, (भाप्रसे. 1998), 28-6-1957.	अपर आयुक्त (राजस्व), जबलपुर संभाग, जबलपुर.	30-6-2017 (अपराह)
4	श्रीमती रजनी उडके, (भाप्रसे. 1999), 20-6-1957.	वि.क.अ.-सह-सचिव, राज्य सूचना आयोग, भोपाल.	30-6-2017 (अपराह)

भोपाल, दिनांक 12 जून 2017

क्र. ई-1-184-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री एम. गोपाल रेड्डी, भाप्रसे (1985), पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.	प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मंडल, ग्वालियर	अध्यक्ष, राजस्व मंडल
2	डॉ. मधु खरे, भाप्रसे (1997), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन
3	डॉ. पवन कुमार शर्मा, भाप्रसे (1999), पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.	सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन
4	श्री केदार शर्मा, भाप्रसे (1999), विकअ-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं तथा पदेन सचिव, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग	—
5	श्री संतोष मिश्रा, भाप्रसे (1999), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन
6	श्रीमती रेनु तिवारी, भाप्रसे (2000), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग.	प्रबंध संचालक, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन
7	श्री रवीन्द्र सिंह, भाप्रसे (2005), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
8	श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे (एसके : 2007), पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

(2) श्री रमेश एस. थेटे, भाप्रसे (1993) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग तथा आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा वि.क.अ.-सह-संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

श्री थेटे द्वारा उपरोक्तानुसार सचिव, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग तथा आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा वि.क.अ.-सह-संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण का प्रभार ग्रहण करने पर श्री सचिन सिन्हा, भाप्रसे

(1995) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग तथा आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा वि.क.अ.-सह-संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण (अतिरिक्त प्रभार) केवल विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग तथा आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा वि.क.अ.-सह-संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(3) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे (1994), आयुक्त अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं आयुक्त अनुसूचित जाति कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, वि.क.अ.-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(4) श्री संतोष मिश्रा, भाप्रसे (1999) द्वारा उपरोक्तानुसार प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अरुणा गुप्ता, भाप्रसे (2005), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) श्री रवीन्द्र सिंह, भाप्रसे (2005) द्वारा उपरोक्तानुसार आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीतेश व्यास, भाप्रसे (1996), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल तथा आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 13 जून 2017

क्र. ई-1-2-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में उल्लिखित अधिकारीगण, जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015/13/2017-AIS (I)-B, दिनांक 12 जून 2017 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना (3) में दर्शाए राप्रसे के संवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 12 जून 2017 से भाप्रसे संवर्ग के उसी पद पर पदस्थ घोषित किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव	उपसचिव, "कार्मिक", मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
2	श्री अमर पाल सिंह	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग
3	श्री रामप्रताप सिंह जादौन	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग

(2) नीचे तालिका के खाना (2) में उल्लिखित अधिकारीगण जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015/13/2017-AIS (I)-B, दिनांक 12 जून 2017 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना (3) में दर्शाए राप्रसे संवर्ग के असंवर्गीय/संवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 12 जून 2017 से उक्त असंवर्गीय पदों को उक्त अधिकारियों के इन पदों पर पदस्थ रहने की तिथि तक, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित खाना (4) में दर्शाए गए संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करते हुए नीचे तालिका के खाना (3) में अंकित पदों पर पदस्थ घोषित किया जाता है:—

तालिका

क्रमांक	अधिकारी का नाम	भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक को धारित असंवर्गीय पद का नाम	भाप्रसे संवर्ग में शामिल पद का नाम जिसके समकक्ष घोषित किया जाता है।
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री उमेश कुमार	विशेष सहायक माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी (श्री दिग्विजय सिंह).	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
2	श्री आशीष कुमार	अपर कलेक्टर, दतिया	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
3	कुमारी शैलबाला अंजना मार्टिन	अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

(1)	(2)	(3)	(4)
4	श्री जगदीश चन्द्र जटिया	अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
5	श्री वेद प्रकाश	आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
6	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव	विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, ऊर्जा, खनिज साधन.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
7	श्रीमती वंदना वैद्य	उपसचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
8	श्री राकेश सिंह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
9	श्री प्रबल सिपाहा	अपर संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
10	श्री शशिभूषण सिंह	महाप्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
11	श्री सतेन्द्र सिंह	प्रबंध संचालक, एकेव्हीएन, ग्वालियर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
12	श्री मनीष सिंह	आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
13	श्री छोटे सिंह	अपर कलेक्टर, जबलपुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
14	श्री अक्षय कुमार सिंह	महाप्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
15	श्री दिनेश श्रीवास्तव	अपर कलेक्टर, सागर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
16	श्रीमती सपना निगम	उप संचालक, लघु कृषक व्यापार संघ, नई दिल्ली.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
17	श्री दीपक कुमार सक्सेना	उपसचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
18	श्री अनिल कुमार खरे	अपर कलेक्टर, पन्ना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
19	श्री संदीप कुमार माकिन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दतिया.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
20	श्री सुरेश कुमार	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
21	श्री चन्द्रशेखर वालिम्बे	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मैप आईटी, भोपाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
22	श्री शीलेन्द्र सिंह	अपर कलेक्टर, खरगोन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

क्र. ई-5-867-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तरुण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला राजगढ़ को समसंख्यक आदेश दिनांक 21 मई 2017 द्वारा दिनांक 12 से 16 जून 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 10, 11 जून एवं 17, 18 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. ई-5-879-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नंद कुमारम, आयएएस., उपसचिव, मुख्यमंत्री तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा उपसचिव, विमानन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, माई एम पी प्रकोष्ठ को दिनांक 12 से 16 जून 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 जून एवं 17, 18 जून 2017 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नंद कुमारम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मुख्यमंत्री तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा उपसचिव, विमानन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, माई एम पी प्रकोष्ठ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री नंद कुमारम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नंद कुमारम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-886-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री गणेश शंकर मिश्रा, आयएएस., कलेक्टर, अलीराजपुर को दिनांक 26 मई से 3 जून 2017 तक, नौ दिन का पितृत्व अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री गणेश शंकर मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गणेश शंकर मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-898-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजेश बहुगुणा, आयएएस., अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को मिड केरियर प्रोग्राम जो कि दिनांक 5 से 30 जून 2017 तक, मसूरी में आयोजित है, जिसमें दिनांक 26 से 30 जून 2017 तक, विदेश ट्रेनिंग सम्मिलित है, के अनुक्रम में दिनांक 1 से 4 जुलाई 2017 तक, चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश बहुगुणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजेश बहुगुणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश बहुगुणा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-907-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएएस., अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर को दिनांक 11 से 31 मई 2017 तक, इक्कीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-968-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री सोनिया मीना, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उमरिया को दिनांक 27 जून से 7 जुलाई 2017 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 जून एवं 8, 9 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री सोनिया मीना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उमरिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री सोनिया मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सोनिया मीना अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-980-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती नेहा मीना, आयएएस., तत्कालीन सहायक कलेक्टर, जिला धार को दिनांक 9 सितम्बर 2016 से 21 दिसम्बर 2016 तक, एक सौ चार दिन का चाइल्ड केयर अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती नेहा मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नेहा मीना अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-1002-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजेश कुमार कौल, आयएस., संयुक्त आयुक्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त, कार्यालय, भोपाल तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री को दिनांक 12 से 21 जून 2017 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार कौल, आयएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संयुक्त आयुक्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय, भोपाल तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार कौल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार कौल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 15 जून 2017

क्र. ई.-183-2017-5-एक.—श्री नीरज मंडलोई, भाप्रसे. (1993), आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन, भोपाल को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग भी घोषित किया जाता है।

क्र. ई.-5-536-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. एम. मोहनराव, आयएस., राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राज भवन, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 8 मई 2017 द्वारा दिनांक 15 मई से 9 जून 2017 तक, छब्बीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 15 मई से 5 जून 2017 तक, इक्कीस दिन का संशोधित/पुनरीक्षित एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 8 मई 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

क्र. ई-5-683-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को मिड केरियर प्रोग्राम जो कि दिनांक 5 से 30 जून 2017 तक, मसूरी में आयोजित है, जिसमें दिनांक 26 से 30 जून 2017 तक, विदेश ट्रेनिंग सम्मिलित है, के अनुक्रम में दिनांक 1 से 4 जुलाई 2017 तक, चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल की उक्त ट्रेनिंग अवधि में प्रभार विभागीय आदेश क्र. ई-13-12-2017-5-एक, दिनांक 30 मई 2017 द्वारा श्री व्ही. किरण गोपाल, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट

फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया है, के तारतम्य में एक्स इंडिया अर्जित अवकाश अवधि में भी अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल द्वारा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. किरण गोपाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पल्लवी जैन गोविल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई.-5-772-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पी. नरहरि, आयएस., कलेक्टर, जिला इन्दौर को मिड केरियर प्रोग्राम जो कि दिनांक 5 से 30 जून 2017 तक, मसूरी में आयोजित है, जिसमें दिनांक 26 से 30 जून 2017 तक, विदेश ट्रेनिंग सम्मिलित है, के अनुक्रम में दिनांक 1 से 4 जुलाई 2017 तक, चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री पी. नरहरि, कलेक्टर, इन्दौर की उक्त ट्रेनिंग अवधि प्रभार विभागीय आदेश क्र. ई-13-12-2017-5-एक, दिनांक 30 मई 2017 द्वारा श्री शमीम उददीन, भाप्रसे, अपर कलेक्टर जिला इन्दौर को सौंपा गया है, के तारतम्य में एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश अवधि में भी अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी. नरहरि, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री पी. नरहरि द्वारा कलेक्टर, जिला इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शमीम उददीन, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर, कलेक्टर, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री पी. नरहरि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. नरहरि, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-872-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती प्रियंका दास, आयएस., कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ को दिनांक 27 जून 2017 से 5 जुलाई 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 एवं 26 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती प्रियंका दास की अवकाश अवधि में श्री अजय कटेसरिया, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं अपर कलेक्टर (विकास) जिला टीकमगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला टीकमगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रियंका दास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती प्रियंका दास द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय कटेसरिया उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रियंका दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रियंका दास अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-902-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रजनीश श्रीवास्तव, आयएस., तत्कालीन कलेक्टर, जिला नीमच को मिड केरियर प्रोग्राम जो कि दिनांक 5 से 30 जून 2017 तक, मसूरी में आयोजित है, जिसमें दिनांक 26 से 30 जून 2017 तक, विदेश ट्रेनिंग सम्मिलित है, के अनुक्रम में दिनांक 1 से 4 जुलाई 2017 तक, चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री रजनीश श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2017

क्र. एफ ए-6-34-2015-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 316(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश

के राज्यपाल, श्रीमती सीमा शर्मा, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं डॉ. राजेशलाल मेहरा, प्राध्यापक हिन्दी, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म. प्र.) को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं।

भोपाल, दिनांक 16 जून 2017

क्र. एफ 5-19-2016-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्रीमती नंदिता दुबे, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 15 से 19 मई 2017.	05	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने के अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जून 2017

क्र. ई-5-858-आयएस-लीव-5-एक.—श्री विकास नरवाल, आयएस., कलेक्टर, जिला सागर को समसंख्यक आदेश दिनांक 23 मई 2017 द्वारा दिनांक 12 से 16 जून 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 10, 11 जून एवं 17, 18 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 13 जून 2017

क्र. ई-5-830-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री भोंडवे संकेत शांताराम, आयएस., कलेक्टर, जिला उज्जैन को समसंख्यक आदेश दिनांक 21 फरवरी 2017 द्वारा दिनांक 19 से 31 मई 2017 तक, तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 19 से 30 मई 2017 तक, बारह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 21 फरवरी 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत.

क्र. ई-5-876-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तेजस्वी एस. नायक, आयएएस., कलेक्टर, जिला बड़वानी को समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अप्रैल 2017 द्वारा दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 8, 9 एवं 14 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, मैं आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 एवं 16 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति कार्योत्तर प्रदान की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अप्रैल 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

क्र. ई.-5-955-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय सिंह गंगवार, आयएएस., सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,

भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 8 मई 2017 द्वारा दिनांक 27 मई से 7 जून 2017 तक, बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, मैं आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 27 मई से 3 जून 2017 तक, आठ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 4 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 8 मई 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव 'कार्मिक'.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मई 2017

क्र. एफ-1(बी)159-2016-बी-4-दो,—राज्य शासन, द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2014 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600—39100+ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	01	श्री संजीव कुमार पाण्डेय, 117-कृष्ण नगर कालोनी, सतना रोड, अमरपाटन जिला सतना म. प्र. 485775.	ग्वालियर
2	02	सुश्री कल्याणी पाण्डेय, इ. एन. 1/27 चार इमली, आई.ए.एस. गेस्ट हाउस के पीछे, भोपाल म. प्र.-462016.	उज्जैन
3	03	सुश्री सौम्या अग्रवाल, 60, ग्लोबस ग्रीन कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, लालघाटी, भोपाल म. प्र.-462036.	राजगढ़
4	04	श्री त्रिलोचन गौड़, गुढ़ावले, सदरबाजार कोलारस, जिला शिवपुरी म. प्र.-473770.	रीवा

(1)	(2)	(3)	(4)
5	05	सुश्री श्वेता गुप्ता, सुश्री श्वेता गुप्ता D/o हरीचरण गुप्ता, गुरुद्वारे के सामने, बड़े पुल के पास ए.बी.रोड कोलारस जिला शिवपुरी, म. प्र.-473770.	रायसेन
6	09	श्री अक्षय सिंह मरकाम, 517/ए, सुदामा नगर, शिव मंदिर चौक, इन्दौर म. प्र.-452009.	जबलपुर
7	10	सुश्री अनिता द्विवेदी, ई.डब्ल्यू.एस-568, सरस्वती नगर, एलआईजी ग्राउण्ड के पास जवाहर चौक, भोपाल म. प्र.-462003.	भोपाल
8	11	श्री योगेन्द्र सिंह, हाउस नं. 77, C/o रिसाल सिंह सेंगर, ग्राम व पोस्ट-करतल, तहसील-नरैनी, जिला बांदा, उ. प्र.-210129.	टीकमगढ़
9	12	श्री आशुतोष द्विवेदी, 123 विष्णुपुरी, वर्धमान बाँयज हास्टल, रूम नं. 105, भंवरकुंआ, चौक, इन्दौर म. प्र.-452001.	छिन्दवाड़ा
10	13	सुश्री पूजा शर्मा, मारूति सुजुकी शोमरूम के पास, भोपाल बायवास ब्यावरा, राजगढ़, म. प्र. 465674.	झाबुआ
11	14	श्री पियूष कुमार मिश्रा, म. नं. 123, वर्धमान होस्टल, रूम नं. 311, विष्णुपुरी मेन, भंवरकुआ चौक, इन्दौर, म. प्र. 452001.	सागर
12	16	सुश्री अमृता गर्ग, शिवकालोनी, गली नं. 05 सिद्धार्थ नगर, पोस्ट-बिरला विकास, सतना, म. प्र. 485005.	छतरपुर
13	17	श्री सुमित अग्रवाल, म. नं. 318, राघवेन्द्र नगर, शिवपुरी, जिला शिवपुरी, म. प्र.-473551.	मुरैना
14	18	श्री राजीव पाठक, म. नं. 105, सिटी कोतवाली के बाजू से, दरहाई रोड, जबलपुर, म. प्र. 482002.	रीवा
15	19	सुश्री सुरभि मीना, एल.आई.जी.-99, गायत्री किराना, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, होशंगाबाद म. प्र.-461001.	पन्ना

(1)	(2)	(3)	(4)
16	20	श्री कर्णिक श्रीवास्तव, 190, कटरा वार्ड, इटावा, बीना जिला सागर म. प्र.-470113.	बालाघाट
17	21	श्री तुषार सिंह, आत्मज श्री राजेन्द्र सिंह परियोजना प्रशासक बंगला, वार्ड क्रं0-13 जनपद पंचायत कार्यालय के पीछे जयसिंहनगर जिला शहडोल म. प्र.-484771.	जबलपुर
18	22	सुश्री अपूर्वा किलेदार, एफ-205, रॉयल प्लेटिनम, बाम्बे हॉस्पिटल के पास विजयनगर, इंदौर म. प्र.-452010.	मण्डला
19	23	श्री नीतेश पटेल, डी-68, शालीमार सेवन गार्डन, होशंगाबाद रोड, भोपाल, म. प्र.-462026.	होशांबाद
20	24	श्री सौरभ कुमार, C/0 राजेश कुमार, 20 ब्लॉक, शुभबिहार के पीछे, शिवानंद नगर, सेक्टर-3, पोस्ट-गुढ़ियारी, जिला रायपुर, छ. ग.-492011.	कटनी
21	25	श्री मोतीलाल कुशवाहा, C/0 डॉ. देवेन्द्र सिंह, बैंक कालोनी, गली नं. 02, बरहुत नगर, सतना, म.प्र.-485001	बैतूल
22	26	सुश्री अदिति भावसार, पुराना सिंडिकेट बैंक के पास, गांधी नगर, इटारसी, म. प्र.-461111.	भोपाल
23	28	श्री जितेन्द्र सिंह जाट, ग्राम-खरगावली, पोस्ट-पठारी, जिला रायसेन, म. प्र.-464551.	विदिशा
24	29	सुश्री मंजू चौहान, जूनियर एम.आई.जी.-3, रामायण कॉम्प्लेक्स, गौतम नगर, भोपाल, म. प्र.-462023.	सीधी
25	30	सुश्री हिमाली सोनी, मानस मंडल के पीछे, गोमतीपुरा, डबरा, जिला ग्वालियर म. प्र.-475001.	सतना
26	31	सुश्री रूपरेखा यादव, 43, सिटी पुलिस लाईन, धार, म. प्र.-454001.	उमरिया

(1)	(2)	(3)	(4)
27	32	श्री जितेन्द्र कुमार पटेल, ग्राम व पोस्ट-बीरा, तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना, म. प्र.-488220.	सीहोर
28	35	सुश्री नमिता धमगाये, ग्राम व पोस्ट-आगरी, तहसील-कटंगी, जिला बालाघाट, म. प्र.-481332.	शहडोल
29	36	सुश्री नीति सोनवे, नर्मदानगर, प्लॉट नं. 88/02, सेट अलासियस स्कूल के पास, पोलीपाथर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर, म. प्र.-482008.	मंदसौर
30	37	सुश्री आंकाशा तलया, ई-2, बरगी हिल्स कालोनी, नागपुर रोड, जबलपुर, म. प्र.-482003.	बड़वानी
31	38	श्री प्रमोद शाक्य, जिला पेंशन कार्यालय, कलेक्टर परिसर, कलेक्टोरेट, भिण्ड, म. प्र.-477001.	अशोकनगर
32	39	सुश्री दीपाली चंदौरिया, दाल बाजार, राम मंदिर वाली गली, लश्कर, ग्वालियर, म. प्र.-474009.	गुना
33	40	श्री रजनीश कश्यप कोल, C/o पी. सी. कोल, ई-5. डॉक्टर कालोनी, एम.जी.एम.एच. केम्पस मेडिकल कालेज, रीवा म. प्र.-486001.	धार
34	41	श्री दुर्गेश आमोँ, म. नं. 07, सेन्ट्रल जेल कॉलोनी इन्द्रा मार्केट, जबलपुर म. प्र.-482001.	सिवनी
35	42	श्री रवीन्द्र वास्कले, ग्राम व पोस्ट भवती, तहसील व जिला बड़वानी, म. प्र.-451551.	हरदा
36	43	श्री सुनील कुमार वरकड़े, न्यू कलेक्टोरेट कालोनी रूम नं. जी-15 डिण्डौरी पोस्ट ऑफिस डिण्डौरी जिला डिण्डौरी, म. प्र.-481880.	रतलाम
37	45	श्री लोकेन्द्र सिंह ठाकुर, ग्राम-तिरला, पोस्ट तिरना, तहसील-धार, जिला धार, म. प्र.-454129.	होशंगाबाद

(1)	(2)	(3)	(4)
38	46	सुश्री सोनू डाबर, जे-46, दौलत नगर, माण्डव रोड, धार, म. प्र.-454001.	नीमच
39	47	श्री रोहित सिंह अलावा, 21 प्रकाश नगर, धार जिला धार, म. प्र.-454001.	आगर
40	48	श्री भूपेन्द्र रावत, 423, पटेल फालेया, ग्राम-आम्जुआ, तहसील व जिला अलीराजपुर, म. प्र.-457990.	देवास
41	49	श्री अश्वनी कुमार, गवारी पोस्ट-खैररांजी केवलारी, जिला सिवनी, म. प्र.-480994.	दतिया
42	54	सुश्री दीपा डोडवे, क्वाटर नं. 4/टाईप 4, शास्त्री नगर, ठाठीपुर (एजीएमपी) ग्वालियर, म. प्र.-474011.	बुरहानपुर
43	55	श्री देवेन्द्र सिंह धुर्वे, सिविल लाइन सिद्धनगर घुघरी, तहसील घुघरी, जिला मण्डला, म. प्र.-481664.	जबलपुर
44.	56	सुश्री नीलम कनोज, सेक्टर-ए, 65, 66, श्री यंत्र नगर, खण्डवा रोड, बिलवाली, इन्दौर म. प्र.-452020.	इन्दौर

(2) नवनियुक्त अधिकारीगण इस आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस में कॉलम (4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं दिनांक 15 जून, 2017 तक मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(4) नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(5) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(6) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(7) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(8) परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(9) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जाँच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(10) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(11) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13-5-2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

(12) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों को पूर्ण संज्ञान है.

भोपाल, दिनांक 12 जून 2017

क्र. एफ-1(बी)159-2016-बी-4-दो,—राज्य शासन, द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2014 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600—39100+ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :-

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	15	श्री प्रशांत भदौरिया, एफ-2/21, राजस्व कॉलोनी, उज्जैन, म. प्र.-456010.	ग्वालियर
2	27	श्री अंकित सोनी, बी-1, जानकी नगर, चूनाभट्टी, कोलार रोड, भोपाल, म. प्र.-462016.	सीहोर
3	33	श्री सौरभ रत्नाकर, 212/2, मस्जिद वार्ड क्र. 16, बीना-इटावा, जिला सागर, म. प्र.-470113.	गुना

(1)	(2)	(3)	(4)
4	44	श्री अमित कुमार बट्टी, श्रीमती आर.के. वट्टी, एम.एक्स, 150, कामायनी परिसर, 11 नंबर बस स्टाप, साई बोर्ड, ई-7, अरेरा कालोनी, भोपाल, म. प्र. 462016.	अनूपपुर

(2) नवनियुक्त अधिकारीगण इस आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस में कॉलम (4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

(3) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे।

(5) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी।

(6) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

(7) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(8) परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे।

(9) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

(10) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(11) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों को पूर्ण संज्ञान है।

भोपाल, दिनांक 15 जून 2017

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1(ए)-156-95-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 6 जून 2017 को निरस्त करते हुए, श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद, जोन होशंगाबाद को दिनांक 5 से 13 जून 2017 तक, कुल नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 4 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के द्वितीय ब्लाक वर्ष के विस्तार वर्ष 2017 के अन्तर्गत परिवार सहित गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत परिवार के निम्न सदस्यों के साथ लेह लद्दाख (जम्मू एवं कश्मीर) भ्रमण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1	श्री रवि कुमार गुप्ता	—	स्वयं
2	डॉ. रचना गुप्ता	—	पत्नी
3	कुमारी पलक गुप्ता	—	पुत्री
4	कुमारी झलक गुप्ता	—	पुत्री
5	श्रीमती मिथलेश गुप्ता	—	माताजी

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे का कार्य मो. शहिद अबसार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (प्रबंध) पु.मु. भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद जोन होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री रवि कुमार गुप्ता भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2017

क्र. एफ 1(ए)168-89-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 3 मई 2017 द्वारा जारी अवकाश यात्रा सुविधा आदेश की कंडिका-2 को संशोधित करते हुए, श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, पुलिस महानिदेशक (अपराध अनुसंधान विभाग), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के स्थान पर श्री ए. के. सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा पढ़ा जावे.

(2) आदेश की शेष कंडिकार्यें यथावत्

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 जून 2017

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री अरूण शुक्ला, अधिवक्ता जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 23 फरवरी 2017 से 22 फरवरी 2018 तक, एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारत (01) वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री राजेन्द्र आर. सुगन्धी, अधिवक्ता इन्दौर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 16 अप्रैल 2017 से 15 अप्रैल 2018 तक, एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारत (01) वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री आदित्य चौबे, अधिवक्ता जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 22 फरवरी 2017 से 22 फरवरी 2018 तक, एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारत (01) वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 21 जून 2017

फा. क्र. 3(ए)01-2017-इक्कीस-ब(एक)-2709.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम-5(1)(ए) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने को दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070

के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है:—

1. श्री नवीन कुमार शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्या. दण्डा., सीहोर.
2. श्री शशिभूषण शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्या. दण्डा., शिवपुरी.
3. श्री संजय गोयल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्या. दण्डा., डिण्डोरी.
4. श्रीमती सुरेखा मिश्रा, सोलहवें, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अति. मुख्य न्या. दण्डा., भोपाल.
5. श्री विवेक शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्या. दण्डा., खण्डवा.
6. श्री राकेश कुमार गोयल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्या. दण्डा., सतना.
7. श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्या. दण्डा., अलीराजपुर.
8. श्री सुनील कुमार मिश्रा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्या. दण्डा., शहडोल.
9. श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्या. दण्डा., शाजापुर.
10. श्री संजय कुमार सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्या. दण्डा., उज्जैन.
11. डॉ. श्रीमती शुभा सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्या. दण्डा., धार.
12. श्री अनिल कुमार पाठक, ओ.एस.डी., मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय (ए.सी.जे.एम.), जबलपुर.
13. श्रीमती कविता वर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्या. दण्डा., कटनी.
14. श्री सुजीत कुमार सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्या. दण्डा., बालाघाट.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2017

क्र. एफ-15-6-2017-सात-शाखा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित गांवों के लिए, उसके कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाए:—

अनुसूची

तहसील : ग्वालियर

जिला ग्वालियर

क्रमांक	पटवारी हलका क्रमांक सहित गांवों के नाम	अधिकार-अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)
	मूल ग्राम	नवीन ग्राम
1	गुठीना, प.ह.नं. 103	चक गुठीना, प.ह.नं. 103
2	चककेशोपुर, प.ह.नं. 115	खुदरपुरा, प.ह.नं. 115
3	सिरोली, प.ह.नं. 116	विजयगढ़, प.ह.नं. 116
4	बिजौली, प.ह.नं. 125	जनारपुरा, प.ह.नं. 125
5	सिरसौद, प.ह.नं. 127	भगवानपुरा, प.ह.नं. 127
6	आरोली, प.ह.नं. 140	फदलपुर, प.ह.नं. 140
7	किरावली, प.ह.नं. 143	बंजारो का पुरा प.ह.नं. 143
8	दंगियापुरा, प.ह.नं. 157	चक दंगियापुरा, प.ह.नं. 157

अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित),
जिला-ग्वालियर.

तहसील : घाटीगांव

जिला ग्वालियर

क्रमांक	पटवारी हल्का क्रमांक सहित गांवों के नाम	अधिकार-अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम	
(1)	(2)	(3)	
1	मूल ग्राम पनिहार, प.ह.नं. 23	नवीन ग्राम गुनाह, प.ह.नं. 23	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला-ग्वालियर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2017

क्र. एफ-15-6-2017-सात-शा.-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 15-6-2017-सात-शा.-6, दिनांक 22 जून 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd June 2017

No. F-15-06-2017-VII-Sec.6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959, the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE

Tahsil : Gwalior

District: Gwalior

Serial No.	Name of village (s) with P.C. No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights	
(1)	(2)	(3)	
	Original Village	New Village	
1	Gutheena, P.C. No. 103	Chak Gutheena P. C. No. 103	Superintendent of Land Records, (regular), District—Gwalior.
2	Chak Keshopur, P.C. No. 115	Khuderpura, P.C. No. 115	
3	Siroli, P.C. No. 116	Vijaygur, P.C. No. 116	
4	Bijoli, P.C. No. 125	Janarpura, P.C. No. 125	
5	Sirsod, P.C. No. 127	Bhagvanpura, P.C. No. 127	
6	Aaroli, P.C. No. 140	Phadelpura, P.C. No. 140	
7	Kiravali, P.C. No. 143	Banjaro ka pura, P.C. No. 143	
8	Dangiyapura, P.C. No. 157	Chak Dangiyapura, P.C. No. 157	

Tahsil : Ghatigoan

District: Gwalior

Serial No.	Name of village (s) with P.C. No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights	
(1)	(2)	(3)	
	Original Village	New Village	
1	Panihar, P.C. No. 23	Gunah P. C. No. 23	Superintendent of Land Records (regular), District—Gwalior.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BHARTI OGREY, Dy. Secy.

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति

कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जून 2017

क्र. एफ-3-5-2016-बासठ.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण में निम्नलिखित 05 व्यक्तियों को अधिकतम 03 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक सदस्य नियुक्त करता है:—

1. श्री कृष्णचन्द्र पिता बहादुर सिंह सिसौदिया, ग्राम-पंथ पिपलोदा, तहसील-ताल, जिला रतलाम.
2. श्रीमती यमुना पति गोपाल सिंग, ग्राम-मझान्या, पोस्ट सुनेरा, तह. एवं जिला शाजापुर.
3. श्री नवल पिता परसा नायक, ग्राम-करपा, तह. पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर.
4. श्री सरदार नाथ पिता उमराव नाथ, ग्राम-झरपा, पोस्ट तनोडीया, जिला आगर.
5. श्री सौदान सिंग पिता हरीराम, शमशाबाद, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश.

क्र. एफ-3-5-2016-बासठ.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15 सितम्बर 2016 को निरस्त करते हुए, श्री संजय पिता श्री चैन सिंह जाधव, मु.पो. सिरपुर, जिला बुरहानपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अधिकतम 03 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक के लिये अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण के पद पर नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा ढोरे, उपसचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जून 2017

क्र. 1085-892-2017-तेईस-योआसां.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 संशोधित अधिनियम, 1999 की धारा 4 की उपधारा 3(ग) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है:—

क्र.	अशासकीय सदस्य का नाम	जिला योजना समिति
(1)	(2)	(3)
1	श्री बीरेन्द्र जैन	ग्वालियर

भोपाल, दिनांक 13 जून 2017

क्र. 1092-892-2017-तेईस-योआसां.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 संशोधित अधिनियम, 1999 की धारा 4 की उपधारा 3(ग) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है:—

क्र.	अशासकीय सदस्य का नाम	जिला योजना समिति
(1)	(2)	(3)
1	श्री सदानंद गौतम	पन्ना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 21 जून 2017

क्र. एफ-1-3-16-रा.स.-यू.ए.-1-779.—राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (क्र. 13 सन् 1998) की धारा 12 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल, एतद्द्वारा, डॉ. सुनील कुमार, एडिशनल सेक्रेटरी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल का कुलपति नियुक्त करता हूँ।

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-4 के अनुसार शासित होंगी।

ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खण्डवा एवं बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 27 जून 2017

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र के अंतिम प्रकाशन की सूचना

क्र. 765-नग्रानि-17.—नेपानगर निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र दिनांक 22 जून 2017 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत किए हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है।

अब उपरोक्त योजना क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन एतद्द्वारा, अंगीकृत किया गया है और उसकी प्रति दिनांक 27 जून 2017 से 3 जुलाई 2017 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु कार्यालय में उपलब्ध रहेगी:—

1. आयुक्त, संभाग इन्दौर
2. कलेक्टर, जिला कार्यालय, खण्डवा
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, नेपानगर
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खण्डवा.

कविता नागर, उप संचालक (प्र.).

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र-भू-अ-04-2017

दमोह, दिनांक 11 मई 2017

राज्य शासन के विविन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म0प्र0शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12-2-14/सात/ए भौपाल दिनांक 12.11.2014 (म0प्र0राजपत्र दिनांक 14.11.14) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 जारी की गयी है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम जलसंसाधन विभाग की शेखपुरा जलाशय योजना की शेखपुरा माईनर नहर के निर्माण का अनुपूरक भू-अर्जन में ग्राम शेखपुरा के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण नियमानुसार है तथा इसके भू-स्वामी/भू-स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका-10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र-ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है। आपसी सहमति से भूमि कृय नीति की कंडिका 11(1) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रशासन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उस पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला दमोह, तहसील बटियागढ़, पटवारी हल्का नं0 35 ग्राम शेखपुरा क्षेत्रफल रकवा 0.13 हे0

क्र0	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम	खसरा न	कुल रकवा हे0 में	अर्जित रकवा हे0 में सिंचित	अन्य सम्पत्ति
1	सोनू मोनू पिता नरेन्द्र कुमार	111	0.98	0.11	निरंक
2	भागचंद पिता बालचंद	26	0.48	0.02	निरंक

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - शेखपुरा जलाशय योजना की शेखपुरा माईनर नहर के निर्माण हेतु।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डॉ. श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 2-अ-82-2016-17

छतरपुर, दिनांक 13 जून 2017

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि भवनों/परिसंपत्तियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 2013 (क्र. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि/भवनों/परिसंपत्तियों की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क) जिला-छतरपुर

(ख) तहसील-महाराजपुर

(ग) ग्राम-मुखर्वा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि/भवनों/परिसंपत्तियों 7696.46 वर्ग मी०

क्र.	खसरा नम्बर	मजरे का नाम	भवन स्वामी का नाम/पिता, पति का नाम	अर्जित की जाने वाली भूमि/भवनों/परिसंपत्तियों का कुल क्षेत्रफल (वर्ग मी)
1	392	मुखर्वा	लल्लाबाई पति बाबूलाल	129.04
2	392		बालादीन पिता हरिदास	90.42
3	392		कृष्णपाल सिंह पिता लोचन सिंह	66.12
4	392		पंचू पिता दलगांजा, रागसहाय पिता पंचू, शंकर पिता रामसहाय, धूराम पिता रामसहाय	205.06
5	392		बिटवा पिता बेनीप्रसाद	60.68
6	420		कल्याण सिंह पिता दुर्जन सिंह	50.20
7	418		नत्थू पिता बुद्धू	84.32
8	418		रघुराज सिंह पिता ग्याप्रसाद, उमाशंकर पिता ग्याप्रसाद	67.55
9	418		भैयालाल पिता कलुआ, धनुआ पिता कलुआ	279.13
10	997		मुलुआ पिता चतरुआ	66.92
11	1019		मुन्ना पिता नथुआ अहिरवार	119.66
12	997		हरि पिता रमोला	17.70
13	997		गोरिलाल पिता रमोला	63.75
14	1009		धनु पिता लल्लू	134.85
15	1009		दुन्डा पिता लल्लू	21.80
16	997		अच्छीलाल पिता चतुरूआ अहिरवार	74.42
17	1009		रामू पिता चिगुआ अहिरवार	182.68
18	1009		1. राजू पिता मूलचंद 2. कामता पिता मूलचंद	20.15
19	1009		आशाराम पिता बालादीन पाल	43.22
20	997		भुमानीदीन पिताचतरुआ	55.72
21	997		1. रामा पिता जावरा 2. संतोष पिता रामा 3. कल्लू पिता रामा	129.68
22	996		गोरिलाल पिता बाबूलाल पाल	31.00
23	1020		मुलुआ पिता करोड़ा	23.45
24	414		मूलचंद पिता घनश्याम कुशवाहा	52.39
25	414		अच्छीलाल पिता भइयालाल	194.39
26	414		धर्मदास पिता मैयादीन कुशवाहा	17.60
27	414		हरि पिता मथुरा कुशवाहा	28.80
28	416		देवीदीन पिता घनश्याम	96.58
29	416		घनश्याम पिता भूरा कुशवाहा	12.50
30	445		महाराज सिंह पिता लक्ष्मी प्रसाद यादव	171.22
31	415		कलुआ पिता नत्थू कुशवाहा	72.66
32	446		महेन्द्र पिता छोटेमंगल यादव	
33	415		भानकुंवर पिता मातादीन	166.51
34	415		1. हीरा पिता नत्थू कुशवाहा 2. संतोष पिता नत्थू कुशवाहा	30.24
35	446		1. प्रतिपाल पिता पहलवान 2. हल्काई पिता पहलवान 3. मुहता पिता पहलवान	44.64
36	410		ओमप्रकाश पिता हल्काई	130.56
37	409		धर्मदास पिता मैयादीन	32.22
38	410		खेमचन्द पिता हल्काई	51.61
39	409		बुद्धप्रकाश पिता मंगल सिंह यादव	64.69
40	392		किशोरी पिता भगू पाल	89.60
	392		बलुवा पिता भगू पाल	67.06
	392		जल्लूबाई पिता बिरवा	58.80
				36.37

41	392	बिहारी लाल पिता दुर्जन प्रसाद साहू	89.00
42	392	भोला पिता बेनीप्रसाद पाल	45.95
43	392	रामेश्वर पिता कलुआ पाल	42.76
44	392	रामेश्वर पिता दयाराम सोनकिया	179.52
45	260/2	आनंद प्रसाद पिता सुरेश प्रसाद सोनकिया	94.75
46	392	सुरेश प्रसाद पिता भगवती प्रसाद	133.25
47	392	रामस्वरूप पिता लक्ष्मी प्रसाद सोनकिया	47.28
48	392	रामकपाल पिता लक्ष्मी प्रसाद	28.31
49	392	रबू पिता मंगू	30.68
50	392	रामनाथ पिता मुकुन्दा रजक	36.80
51	392	रामसेवक पिता शिवलाल पाल	105.37
52	392	1.मुलुआ पिता घमण्डी 2. पूरन पिता मुलुआ 3 लल्लू पिता मुलुआ 4. राजू पिता मुलुआ	114.62
53	392	कमोदा पिता कलुआ	31.00
54	392	तुलसीदास पिता कसिया	66.82
55	392	हरचरण पिता गनपत	15.51
56	392	स्वामीदीन पिता हल्के प्रजापति	103.16
57	392	1. राजामंडया पिता श्यामलाल 2. राजकुमार पिता श्यामलाल	33.00
58	392	1. बल्देवा पिता बुधुआ	30.05
	392	2. राजाराम पिता बल्देवा	43.16
	392	3. रामकिशोर पिता बल्देवा	13.20
59	392	1.अशोक पिता भगवती पाठक 2.पुष्पा पति अशोक पाठक	78.40
60	392	1. बंदी पिता नंदकुमार पाठक 2. सिया कुमारी पिता नंदकुमार 3. रानी पुत्री कृष्ण बिहारी	89.90
61	392	बलिया पिता टईया रैकवार	110.79
62	392	घाद पिता टईया	93.40
63	392	सुलुआ पिता ग्याप्रसाद	73.55
64	390	मुन्नीलाल पिता सल्लो रैकवार	62.62
65	306	अनन्दी पिता गडुआ रैकवार	131.88
66	306	भुमानीदीन पिता गडुआ	42.78
67	390	राजकुमार पिता क्रान्तीराज	84.51
	390	डौली पति राजकुमार	53.10
68	390	1. क्रान्तीराज पिता काशी प्रसाद पाठक 2. नीलेश पिता चंद्रशेखर पाठक	52.30
69	390	1. चन्द्रशेखर पिता क्रान्तीराज पाठक 2. नीलेश पिता चंद्रशेखर 3. योगेश पिता चंद्रशेखर 4. प्रवीण पिता चंद्रशेखर	216.22
70	390.	1.रामराजा पिता क्रान्तीराज पाठक 2.विमला पिता क्रान्तीराज पाठक	256.15
	390	अंजनी पति रामराजा	56.25
71	390	1. राजकुमारी पति हल्काई 2. राकेश पिता हल्काई 3. रामनरेश पिता हल्काई 4. अमलेश पिता हल्काई	194.09
72	390	1. देवराज पिता भगवती प्रसाद पाठक 2. संजीव पिता भगवती प्रसाद पाठक 3. बडीबाई पिता भगवती प्रसाद पाठक	201.40
73	390	1. बालादीन पिता दुर्गा 2. मुन्नी पिता दुर्गा	35.40
74	392	बुद्धा पिता भगू	20.52
	392	हिरवा पिता भगू	39.72
	392	1. ओमप्रकाश पिता बुद्धा 2. अनंतराम पिता बुद्धा	72.95
75	392	1. हरदयाल पिता दुर्जन प्रसाद 2. घनीराम पिता हरदयाल 3. शैलेन्द्र पिता हरदयाल 4. नीलेश पिता हरदयाल 5. वृन्दावन पिता हरदयाल	284.23
	392	जिन्जीबाई पति दुर्जन साहू	45.62
76	392	रामनाथ पिता दुर्जन साहू	111.96
77	390	रमेशचन्द्र पिता जगत सिंह	227.58
	390	सुरेश चन्द्र पिता जगत सिंह	156.81
78	304	1. राजेन्द्र पिता भगवती प्रसाद 2. प्रदीप पिता राजेन्द्र प्रसाद 3. कुलदीप पिता राजेन्द्र प्रसाद	251.24
		कुल कित्ता	7696.46

- सिंहपुर बैराज परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम मुखरा के भू-अर्जन के लिये भूमि/भवनों/परिसंपत्तियों की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
- भूमि/भवनों/परिसंपत्तियों के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नौगाँव में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश भंडारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्र. 3486-भू-अर्जन-री-1-2017 बड़वानी, दिनांक 6 जून 2017

(अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि इंदिरा सागर परियोजना, तहसील ठीकरी जिला बड़वानी की नहरों के निर्माण हेतु ग्राम रड़कोट, पटवारी हल्का नं.-2 तहसील ठीकरी जिला बड़वानी, म.प्र. के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्र. एफ.12-2/2014/सात/2ए/भोपाल, दिनांक 12-11-2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

स. क.	प्रकरण क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)				परिसम्पत्ति का विवरण
				सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल	
1		बनकीबाई बेवा पैमा, मंशाराम, प्रेमसिंह, गीताबाई, रमीलबाई, कुंताबाई, सकुनबाई पिता पैमा, सुनीता बेवा कन्हैया, मुकेश, जितेन्द्र, महेन्द्र, मीना, ज्योति पिता कन्हैया, सुगनाबाई बेवा सुकराम, लता, रीतु, शीतल पिता सुकराम ना.बा. कृष्णा, बलराम पिता सुकराम अ.पा.क. सुगनाबाई बेवा सुकराम जाति कोली नि. ब्रह्ममणगोंव भू-स्वामी	69/2		0.206		0.206	
			79/3		0.291		0.291	
2		मोहब्बतसिंह पिता किशन मनोहर विक्रम गजराज इन्दर पिता मेहताबसिंह शिवकुंवरबाई बेवा मेहतापसिंह राजपूत नि. कपाल्याखेडी भू-स्वामी	65/4, 65/5, 65/1/2, 80/1/1/1, 80/1/1/2, 80/2, 86/1/1, 86/1/2, 88	0.300		0.400	0.700	
			86/2, 87		0.475		0.475	
3		बागसिंह पिता नत्थुसिंह चम्पाबाई बेवा नत्थुसिंह जाति राजपुत नि. कपाल्याखेडी भू-स्वामी	95/1			0.142	0.142	
			95/2			0.222	0.222	
कुल योग				0.300	1.114	0.622	2.036	

क्र. 3487-भू-अर्जन-री-1-2017

(अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि इंदिरा सागर परियोजना, तहसील ठीकरी जिला बड़वानी की नहरों के निर्माण हेतु ग्राम बघाड़ी, पटवारी हल्का नं.-6 तहसील ठीकरी जिला बड़वानी, म.प्र. के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रं. एफ.12-2/2014/सात/2ए/भोपाल, दिनांक 12-11-2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

स. क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा कमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण	प्रकरण क्रमांक
			सिंचित	पड़त	कुल		
1	मंगुबाई बेवा उन्दरिया, प्रताप, खुश्याल, गुजरबाई, रूकमाबाई, सुनीताबाई पिता उन्दरिया, कुसुमबाई बेवा तिलोकचन्द, प्रेमलाल, कंचन, सीता पिता तिलोकचन्द जाति मानकर निवासी देवला	545/1/1/3, 545/2/1	-	0.222	0.222	-	-
2	मंशाराम, कैलाश, दुलीचन्द, तुलसाबाई, चन्द्रकलाबाई पिता फत्या, मयदाबाई बेवा फत्या जाति मानकर निवासी देवला	545/2/2	-	0.305	0.305	-	-
कुल योग				0.527	0.527		

क्र. 3488-भू-अर्जन-री-1-2017

(अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि इंदिरा सागर परियोजना, तहसील ठीकरी जिला बड़वानी की नहरों के निर्माण हेतु ग्राम करामतपुरा, पटवारी हल्का नं.-3 तहसील ठीकरी जिला बड़वानी, म.प्र. के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रं. एफ.12-2/2014/सात/2ए/भोपाल, दिनांक 12-11-2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

स. क.	प्रकरण	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण	
				सिंचित	असिंचित	पड़त		कुल
1		राजाराम पिता मांगीलाल, जाति अहिर, निवासी ग्राम भोईन्दा	51/1	0.275	-	-	0.275	नीम 2, पाईप लाईन 1
2		रणजीतसिंह पिता बाबुसिंह, जाति राजपुत, निवासी ग्राम भोईन्दा	106/1 107/1	0.010	-	-	0.010	-
3		जगदीश पिता सीताराम जाति अहिर, निवासी ग्राम भोईन्दा	51/3	0.069	-	-	0.069	-
4		कैलाश पिता सीताराम, जाति अहिर, निवासी ग्राम भोईन्दा	51/2	0.032	-	-	0.032	वीरोल पेड़ 2, पाईप लाईन 1
5		सुरेश पिता सीताराम, जाति अहिर, निवासी ग्राम भोईन्दा	51/4	0.069	-	-	0.069	-
6		दशरथ पिता गल्या, जाति भील, निवासी ग्राम करामतपुरा	85	0.130	-	-	0.130	-
			87	0.010	-	-	0.010	-
			88	0.150	-	-	0.150	नीम 1, द्यूबवेल 1
9		बाबु पिता मालचन्द, जाति भील, निवासी ग्राम करामतपुरा	165/3	0.081	-	-	0.081	-
			51/5	0.036	-	0.013	0.049	-
			43/4 44/1	0.041 0.097	-	-	0.041 0.097	-
10		गेंदालाल पिता रायसिंह, जाति भील, निवासी ग्राम करामतपुरा	260/161/3	-	0.010	-	0.010	-
11		लक्ष्मण पिता सीताराम, जाति अहिर, निवासी ग्राम भोईन्दा	51/6 91/1	0.032 0.089	-	-	0.032 0.089	पाईप लाईन 1 नीम 1
12		इन्दरसिंह पिता बिलमण, जाति भील, निवासी ग्राम करामतपुरा	43/3	0.162	-	-	0.162	-
13		मंशाराम पिता बिलमण, जाति भील, निवासी ग्राम करामतपुरा	43/2	0.041	-	-	0.041	-

14	मुन्नीबाई पति रमेशचन्द्र, जाति राजपुत, निवासी ग्राम भोईन्दा	93	0.069	-	-	0.069	-
15	पवन पिता सीताराम, जाति बंजारा, निवासी ग्राम अमाली	49/1, 49/2	0.018	-	0.075	0.093	-
16	गोपाल, कृष्ण पिता मांगीलाल, जाति भील, निवासी ग्राम	165/2 165/4	0.020 0.041	-	-	0.020 0.041	नीम 2, पाईप लाईन 1
17	करामतपुरा लक्ष्मण पिता मांग्या भीलाला, निवासी ग्राम अमाली	58/2	-	0.220	-	0.220	-
18	रामलाल पिता मांग्या भीलाला, निवासी ग्राम अमाली	58/3	-	0.375	-	0.375	-
19	सीताराम पिता दयाराम जाति बंजारा, निवासी ग्राम अमाली	59/3	-	0.010	-	0.010	-
20	अमरसिंह, छतरसिंह, सूरजबाई पिता काना, रेवाबाई बेवा काना जाति भील, निवासी ग्राम	211/1	-	0.105	-	0.105	-
21	सीताराम पिता झेतरिया जाति भील, निवासी ग्राम	211/4	0.210	-	-	0.210	-
22	शंकर पिता सखाराम, सेवन्ती बेवा सखाराम, जाति भील निवासी सा. देह	43/1 44/2	0.121 0.085	-	-	0.121 0.085	पाईप लाईन 1 पाईप लाईन 1
23	भारत लोभीराम देवराम पिता गोविन्द कैलाश कुसुम दुर्गा लता भागु पिता बाळु चतुरबाई बेवा बाळु जाति भारुड निवासी सा. भोईन्दा	48	0.032	-	-	0.032	-
24	सीताराम रेवाराम पिता झेतरिया रेखा लैला शीला बरखा पपीता जीनू पिता तुकाराम रेवाबाई बेवा तुकाराम घनश्याम हरिराम चंदा पिता दयाराम विरोजबाई बेवा दयाराम जाति भील निवासी सा. देह	197/2	0.097	-	-	0.097	-
	योग		2.017	0.720	0.088	2.825	

क्र. 3489-भू-अर्जन-री-1-2017

(अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि इंदिरा सागर परियोजना, तहसील ठीकरी जिला बड़वानी की नहरों के निर्माण हेतु ग्राम चिचली, पटवारी हल्का नं.-1 तहसील ठीकरी जिला बड़वानी, म.प्र. के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्र. एफ.12-2/2014/सात/2ए/भोपाल, दिनांक12-11-2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

सं. क्र.	प्रकरण क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा कमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण	
				सिंचित	असिंचित	पड़त कुल		
1		चतेन्द्रकुमार पिता प्रेमचन्द, जाति मारु, निवासी ग्राम चिचली	191/3, 191/4	0.320	--	--	0.320	पाईप लाईन
2		महादेव पिता बोड़िया, जाति मारु, निवासी ग्राम चिचली	193/2/1, 193/2/2	0.290	--	--	0.290	पाईप लाईन कुआ कच्चा
3		सुरेश पिता बोड़िया, जाति मारु, निवासी ग्राम चिचली	193/2/3, 193/3, 196/2	0.300	--	--	0.300	नीम 01
4		महादेव पिता प्रेमलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम चिचली	205/2	0.445	--	--	0.445	नीम 01
5		श्याम पिता अमृतलाल, जाति मारु, निवासी ग्राम चिचली	203/3, 204/3	0.195	--	--	0.195	पाईप लाईन बबूल 02 नीम 01
6		बाउ पिता छगन, जाति भारुड, निवासी ग्राम चिचली	89/3	0.030	--	--	0.030	--

7	सुन्दरबाई पति स्व. हेमा, शिवजी, रामा, श्यामा, सुखदेव, पिता हेमा जाति मारु नि. ग्राम	93/3/1	0.090	--	--	0.090	पाईप लाईन
8	शांताबाई बेवा हेमा, कैलाश, राजेश, रविन्द्र पिता हेमा, दीपीका पिता कृष्णकांत ना.बा. अनुशाग, अन्तिम अ.पा. क. दीपीका पिता कृष्णकांत, जाति मारु नि.ग्राम	93/3/2	0.125	--	--	0.125	पाईप लाईन
9	हुकुम, धन्नालाल, बागा पिता लक्ष्मण, मायाबाई पिता लक्ष्मण जाति मारुड नि.ग्राम	193/1/1/2	0.101	--	--	0.101	पाईप लाईन
10	दयाराम पिता राजाराम, नरेन्द्र, गजेन्द्र, रीना पिता रमेश, कमलाबाई बेवा रमेश जाति बलाई नि.ग्राम	194/1 206/1	0.130	--	0.030 --	0.030 0.130	-- पाईप लाईन
11	मंशाराम, सकाराम पिता देवजा, शांताबाई, पारुबाई, महाकौरबाई पिता देवजा जाति धनगर नि.ग्राम	206/2	0.397	--	--	0.397	--
12	दीपक रविन्द्र चन्दन गणेश सुलोचना पिता हिरदाराम ना.बा.गा. माता किरणबाई बेवा हिरदाराम व किरणबाई बेवा हिरदाराम जाति मानकर सा.देह योग	205/1	0.340	--	--	0.340	--
			2.800	--	0.030	2.830	--

क्र. 3490-भू-अर्जन-री-1-2017

(अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि इंदिरा सागर परियोजना, तहसील ठीकरी जिला बड़वानी की नहरों के निर्माण हेतु ग्राम चैनपुरा, पटवारी हल्का नं.-1 तहसील ठीकरी जिला बड़वानी, म.प्र. के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रं. एफ.12-2/2014/सात/2ए/भोपाल, दिनांक 12-11-2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

स. क्र.	प्रकरण क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा फर्मांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण	
				सिंचित	असिंचित	पड़त		कुल
1		गुलाबचन्द पिता गण्णु जाति मारु निवासी टिटगारीया	167/2	0.245	---	---	0.245	पाईप लाईन
2		सीताराम पिता बाळु जाति मारुड निवासी टिटगारीया	167/1/1, 167/1/2/1	0.510	---	---	0.510	---
3		वेड़िया पिता भील्या जाति मारुड निवासी टिटगारीया	163/3	0.330	---	---	0.330	पाईप लाईन नीम 02
4		दुबलिया पिता टटिया जाति मारुड निवासी टिटगारीया	163/2	0.025	---	---	0.025	---
5		गंगाराम पिता भील्या जाति मारुड निवासी टिटगारीया	163/4	0.400	---	---	0.400	पाईप लाईन
6		शांताबाई पति भागीरथ जाति मारु निवासी विश्वनाथखेड़ा	163/1/1	0.440	---	---	0.440	---
7		रविन्द्र पिता गुलाबचन्द जाति मारु निवासी टिटगारीया	141/3/2	0.020	---	---	0.020	नीम 01

8	हंसाबाई पति दीपक जाति मारु निवासी विश्वनाथखेडा रामनिवास पिता	163/1/2/2	0.010	—	—	0.010	—
9	गुलाबचन्द जाति मारु निवासी टिटगारीया नानुराम पिता नरसिंह जाति मारु निवासी ग्राम	141/3/1	0.280	—	—	0.280	पाईप लाईन 02
10	चम्पालाल पिता हीरालाल जाति मारु निवासी टिटगारिया राधेश्याम पिता काशीराम जाति मारु निवासी ग्राम	141/2	0.300	—	—	0.300	—
11	महेन्द्र पिता भागीरथ जाति मारु निवासी ग्राम तिलोक पिता भागीरथ जाति मारु निवासी ग्राम	141/1	0.280	—	—	0.280	पाईप लाईन नीम 01
12	रमेश पिता पन्नालाल जाति तेली निवासी ब्राह्मणगांव	139/2	0.200	—	—	0.200	—
13	नर्मदीबाई पति पर्वत जाति भिलाला निवासी ग्राम	139/1/2	0.077	—	—	0.077	—
14	लक्ष्मण पिता धन्या जाति मारु निवासी विश्वनाथखेडा	139/1/1	0.077	—	—	0.077	पाईप लाईन 02
15	सुखदेव पिता सखाराम जाति मारु निवासी ग्राम विरेन्द्र पिता गजानन्द जाति मारु निवासी विश्वनाथखेडा	138/2	0.260	—	—	0.260	—
16	प्रकाश पिता नारायण जाति मारु निवासी ग्राम नारायण पिता कन्हैया जाति मारु निवासी ग्राम	132/1/4	—	0.180	—	0.180	नीम 01
17	रतनलाल पिता नारायण जाति मारु निवासी ग्राम मारु समाज पंच विश्वनाथखेडा व्यवस्थापक भागीरथ पिता जगन्नाथ, राधेश्याम पिता	132/1/1	0.250	—	—	0.250	नीम 02
18	काशिराम, शिवजी पिता गंगाराम जाति मारु निवासी विश्वनाथखेडा	112/2	0.340	—	—	0.340	पाईप लाईन
19	टीकम पिता शिवा जाति मारुड निवासी ग्राम	110/2/1, 114/4	0.225	—	—	0.225	पाईप लाईन मकान 01
20		110/2/2, 114/2	0.280	—	—	0.280	पाईप लाईन
21		102/2/2/2	0.500	—	—	0.500	पाईप लाईन
22		102/2/2/1	0.480	—	—	0.480	पाईप लाईन 02
23		102/2/1/2	0.105	—	—	0.105	पाईप लाईन
24		95/2	—	—	0.121	0.121	नीम 01
		95/1	0.049	—	—	0.049	पाईप लाईन नीम 01
		96/2/2	0.045	—	0.012	0.057	

25	गजानन्द पिता भागीरथ जाति मारु निवासी ग्राम	92/2, 99/2	0.060	—	—	0.060	पाईप लाईन नीम 01
26	जयन्तकुमार पिता भागीरथ जाति मारु निवासी ग्राम	92/1, 124/4	0.081	—	—	0.081	पाईप लाईन
27	रामलाल पिता वेडिया जाति मारु निवासी ग्राम	90/2/3	0.121	—	—	0.121	पाईप लाईन
28	विष्णु पिता वेडिया जाति मारु निवासी ग्राम	90/2/2, 91/1/2	0.121	—	—	0.121	—
29	राजाराम पिता जगन्नाथ जाति मारु निवासी ग्राम	90/1/1	0.113	—	—	0.113	—
30	राधेश्याम पिता जगन्नाथ जाति मारु निवासी ग्राम	90/1/2	0.121	—	—	0.121	पाईप लाईन
31	चुन्नीलाल, टीकम पिता मांगीलाल जाति मारुड निवासी ग्राम	89/4, 124/7	0.075	—	—	0.075	पाईप लाईन
32	मोहन पिता सोमा जाति मारुड निवासी ग्राम	89/3, 124/6	0.090	—	—	0.090	पाईप लाईन गोदी 01
33	भारत पिता नत्थु जाति मारु निवासी ग्राम	136/2	—	0.250	—	0.250	—
34	हेमैन्द्र पिता राजाराम जाति मारु निवासी विश्वनाथखेडा	88/1/4, 88/3/2	0.130	—	—	0.130	—
35	गोपाल पिता राजाराम जाति मारु निवासी विश्वनाथखेडा	88/1/3, 88/2/2, 88/3/1	0.150	—	—	0.150	पाईप लाईन
36	शेलेन्द्र पिता राजाराम जाति मारु निवासी विश्वनाथखेडा	88/1/2, 88/2/1, 89/1/2	0.101	—	—	0.101	—
37	वासुदेव पिता नत्थु जाति मारु निवासी ग्राम	87/1, 128/2	0.090	—	—	0.090	पाईप लाईन
38	मिनाक्षीबाई पति संजय जाति मारु निवासी विश्वनाथखेडा	86/1/1/2, 129/2/2	0.105	—	—	0.105	पाईप लाईन
39	सुमद्राबाई बेवा परसराम, संतोष, दिलीप पिता परसराम, जाति मारु निवासी ग्राम	84/4/1	0.130	—	—	0.130	पाईप लाईन अस्तरा 01
40	महादेव पिता मांगीलाल जाति मारु निवासी ग्राम	84/3/6	0.037	—	—	0.037	—
41	सुखदेव पिता मांगीलाल जाति मारु निवासी ग्राम	84/3/5	0.037	—	—	0.037	—
42	मंवरलाल पिता मांगीलाल जाति मारु निवासी ग्राम	84/3/4	0.037	—	—	0.037	पाईप लाईन
43	रामेश्वर पिता मांगीलाल जाति मारु निवासी ग्राम	84/3/3	0.037	—	—	0.037	—

	हुकुमचन्द पिता सखाराम जाति मारु निवासी ग्राम	84/2/2	0.170			0.170	पाईप लाईन आम 01 नीम 05
	किशोर पिता मगनलाल जाति मारु निवासी ग्राम	84/1/2	0.081			0.081	पाईप लाईन आम 02 अमरुद 01 नीम 01
	राधेश्याम पिता मगनलाल जाति मारु निवासी ग्राम	84/1/1	0.073			0.073	मकान 01
		84/2/1	0.040			0.040	नीम 02 आम 02
47	गोपाल पिता हागरिया जाति मारु निवासी ग्राम	82/3, 129/3/1	0.210			0.210	पाईप लाईन
48	ठाकुर पिता गंगाराम जाति मारु निवासी ग्राम	81/2	0.055			0.055	पाईप लाईन
49	राहुल पिता गौरीशंकर जाति मारु निवासी ग्राम	102/2/1/1	0.150			0.150	-
50	रामेश्वर पिता मंगत्या जाति मारु निवासी ग्राम	83/2 112/1	0.125 0.335			0.125 0.335	पाईप लाईन
51	मागीरथ पिता सीताराम जाति मारु निवासी ग्राम	82/2, 129/3/1	0.165			0.165	-
52	अशोक, बलराम पिता शांतीलाल, पुनीबाई पति सखाराम जाति मारु निवासी ग्राम	83/1	0.155			0.155	पाईप लाईन नीम 01
53	अमृतलाल पिता मांगीलाल जाति मारु निवासी ग्राम	84/3/2 84/4/2/2	0.015 0.046			0.015 0.046	-
54	गोकुल पिता नरसिंह जाति मारु निवासी टिटगारीया	138/1/1/3	0.670			0.670	-
55	रेवाराम पिता नरसिंह जाति मारु निवासी टिटगारीया	138/1/1/1/2	0.121			0.121	-
56	सेवाराम पिता नरसिंग जाति मारु निवासी टिटगारीया	138/1/2	0.115			0.115	-
57	भारत पिता नत्थु जाति मारु निवासी ग्राम	89/2	0.120			0.120	पाईप लाईन
58	सदाशीव पिता भील्या जाति मारु निवासी ग्राम	111/2 111/1	0.175 0.075			0.175 0.075	-

59	बृजलाल पिता भील्या जाति मारु निवासी ग्राम	85/1, 85/2	0.150	-	-	0.150	पाईप लाईन नीम 01 बादाम 01 गुलमोहर 01
60	बलराम पिता छोटेलाल जाति मारु निवासी ग्राम	91/2	0.095	-	-	0.095	पाईप लाईन
61	मनोहर पिता छोटेलाल जाति मारु निवासी ग्राम	91/3	0.085	-	-	0.085	पाईप लाईन
62	कैलाश, राधेश्याम, जगदेव पिता काशीराम, सावित्रीबाई, उषाबाई, मनसुबाई पिता काशीराम, नथीबाई बेवा काशीराम जाति मारु, नि.ग्राम	136/1	0.370	-	-	0.370	-
63	दिलीप, विजय, बबलू पिता नन्दकिशोर, सावित्रीबाई बेवा नन्दकिशोर, जाति मारु, नि.टिटगारीया	138/1/1/1/1	0.110	-	-	0.110	-
64	उमेश पिता छोटेलाल जाति मारु नि.ग्राम	91/4	0.095	-	-	0.095	-
	योग		11.275	0.430	0.133	11.838	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 1011-भू-अर्जन-17

देवास, दिनांक 16 जून 2017

मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12.11.14 के परिपालन मे आपसी सहमति से क्रय निती के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) मे उल्लेखित भूमि/परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतुनी नहर परियोजना फेस-2 के निर्माण के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

1. ग्राम का नाम :- डेहरिया
2. तहसील :- कन्नौद
3. जिला :- देवास
4. कुल प्रस्ताव :- 01

क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	सर्वे क्र.	अर्जन किये जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
1	2	3	4	5
1	कृषि भूमि	श्री राजेश पिता लक्ष्मणसिंह	95	0.16
2	कृषि भूमि	श्री राजेश पिता लक्ष्मणसिंह	101	0.04
3	कृषि भूमि	श्रीमति बबीताबाई पति रामनिवास	97 / 1	0.0132
4	कृषि भूमि	श्रीमति बबीताबाई पति रामनिवास	102	0.04
5	कृषि भूमि	श्री नारायण पिता बलराम	117	0.22
6	कृषि भूमि	श्री नारायण पिता जगदीश, पदम पिता गोविंद	131	0.05
7	कृषि भूमि	श्री भरतसिंह पिता कालूराम	133 / 1	0.1672
8	कृषि भूमि	श्री जयनारायण पिता कालूराम	133 / 2	0.0484

9	कृषि भूमि	श्री जयनारायण पिता कालूराम	133/3	0.0484
10	कृषि भूमि	श्री देवी सिंह पिता मयाराम	145/1	0.176
11	कृषि भूमि	श्री ओम प्रकाश पिता विजय सिंह	145/2	0.1232
12	कृषि भूमि	श्री नारायण पिता काशीराम	146/1	0.1012
13	कृषि भूमि	शान्ताबाई वि. नानूराम जाति गुर्जर	146/2	0.1012
14	कृषि भूमि	श्री भाई खां पिता अजीज खां	158/1	0.08
15	कृषि भूमि	आमनाबाई पिता छीतर खां	158/2	0.0176
16	कृषि भूमि	श्री रासत खां पिता अजीज खां	160	0.08
17	कृषि भूमि	श्री अमीरीबाई पति इब्राहिम	161	0.03
18	कृषि भूमि	श्री अनवर खां पिता लाल खां	162	0.06
19	कृषि भूमि	श्री काले खां पिता इब्राहिम खां	163	0.06
20	कृषि भूमि	श्री लक्ष्मीनारायण पि. परताप	174/1	0.1144
21	कृषि भूमि	श्री जिब्राहिल पिता हबीब खां अर्श पिता जिब्राहिल अ.पा.क. जिब्राहिल पिता हबीब खां	404	0.07
22	कृषि भूमि	श्री हसन खां पिता रसूल खां	405	0.07
23	कृषि भूमि	श्री किशोर पिता परसराम गुर्जर	174/2	0.03
24	कृषि भूमि	श्रीमति बबीताबाई पति रामनिवास	103	0.22
25	कृषि भूमि	श्री लोकेश मुकेश पिता श्रवण कुमार व.मु. भिकुबाई बेवा श्रवण कुमार	110	0.09
26	कृषि भूमि	श्री सेत खा पिता खाजुखां जाति मेवाती	111/1/1	0.088
27	कृषि भूमि	श्री सेत खा पिता खाजू खां जाति मेवाती	121/1	0.05
28	कृषि भूमि	श्री शिवनारायण पिता चम्पालाल	114	0.17
29	कृषि भूमि	श्री कैलाश पिता रामदेव	116	0.13
30	कृषि भूमि	श्री सुकराम पिता भीका जाति गुजर	151	0.18
31	कृषि भूमि	श्री अमरसिंह पिता भीकाजी जाति गुजर	154/1	0.044
32	कृषि भूमि	श्री नर्मदाप्रसाद पिता भीकाजी	154/2	0.0528
33	कृषि भूमि	श्री गेन्दालाल पिता भीकाजी जाति गुजर	154/3	0.0528
34	कृषि भूमि	श्री किशोर पिता परसराम	168	0.03
35	कृषि भूमि	श्री किशोर पिता परसराम गुर्जर	169	0.03
36	कृषि भूमि	श्री किशोर पिता परसराम	170	0.03
37	कृषि भूमि	श्री खुशयाल पिता किशोर जाति गुर्जर	171	0.03
38	कृषि भूमि	श्री खुशयाल पिता किशोर जाति गुर्जर	172	0.03
39	कृषि भूमि	श्री रामकिशन पिता प्रताप जाति गुर्जर	178	0.08
40	कृषि भूमि	श्री नर्मदाप्रसाद, सुरजसिंह, रामकिशन, लक्ष्मीनारायण पिता प्रतापरेवाबाई, सावित्रीबाई उमाबाई रमाबाई ललीताबाई, रामबाई, गायत्रीबाई पिता प्रताप, शांताबाई वेवा प्रताप	396/1	0.09
41	कृषि भूमि	श्री रामनारायण पिता मयाराम जाति गुर्जर	403/1	0.0132
42	कृषि भूमि	श्री लक्ष्मीनारायण पिता मयाराम	402	0.17
43	कृषि भूमि	श्री जितेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण	403/2	0.62

कुल सर्वे नंबर- 43 कुल प्रस्ताव -01

उपरोक्त कृषकों की भूमि देवास जिले के दतुनी नहर परियोजना फेस-2 के निर्माण के अंतर्गत ग्राम डेहरिया की उपरोक्तानुसार भूमि राज्य सरकार के संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1011-भू-अर्जन-17

मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12.11.14 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय निती के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि/परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतुनी नहर परियोजना फेस-2 के निर्माण के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

1. ग्राम का नाम :- डेहरिया
2. तहसील :- कन्नौद
3. जिला :- देवास
4. कुल प्रस्ताव :- 01

क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	सर्वे क्र.	अर्जन किये जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
1	2	3	4	5
1	कृषि भूमि	श्री राजेश पिता लक्ष्मणसिंह	95	0.16
2	कृषि भूमि	श्री राजेश पिता लक्ष्मणसिंह	101	0.04
3	कृषि भूमि	श्रीमति बबीताबाई पति रामनिवास	97/1	0.0132
4	कृषि भूमि	श्रीमति बबीताबाई पति रामनिवास	102	0.04
5	कृषि भूमि	श्री नारायण पिता बलराम	117	0.22
6	कृषि भूमि	श्री नारायण पिता जगदीश, पदम पिता गोविंद	131	0.05
7	कृषि भूमि	श्री भरतसिंह पिता कालूराम	133/1	0.1672
8	कृषि भूमि	श्री जयनारायण पिता कालूराम	133/2	0.0484
9	कृषि भूमि	श्री जयनारायण पिता कालूराम	133/3	0.0484
10	कृषि भूमि	श्री देवी सिंह पिता मयाराम	145/1	0.176
11	कृषि भूमि	श्री ओम प्रकाश पिता विजय सिंह	145/2	0.1232
12	कृषि भूमि	श्री नारायण पिता काशीराम	146/1	0.1012
13	कृषि भूमि	शान्ताबाई वि. नानूराम जाति गुर्जर	146/2	0.1012
14	कृषि भूमि	श्री भाई खां पिता अजीज खां	158/1	0.08
15	कृषि भूमि	आमनाबाई पिता छीतर खां	158/2	0.0176
16	कृषि भूमि	श्री रासत खां पिता अजीज खां	160	0.08
17	कृषि भूमि	श्री अमीरीबाई पति इब्राहिम	161	0.03
18	कृषि भूमि	श्री अनवर खां पिता लाल खां	162	0.06
19	कृषि भूमि	श्री काले खां पिता इब्राहिम खां	163	0.06
20	कृषि भूमि	श्री लक्ष्मीनारायण पि. परताप	174/1	0.1144
21	कृषि भूमि	श्री जिब्राहिल पिता हबीब खां अर्श पिता जिब्राईल अ.पा.क. जिब्राहिल पिता हबीब खां	404	0.07
22	कृषि भूमि	श्री हसन खां पिता रसूल खां	405	0.07
23	कृषि भूमि	श्री किशोर पिता परसराम गुर्जर	174/2	0.03

24	कृषि भूमि	श्रीमति बबीताबाई पति रामनिवास	103	0.22
25	कृषि भूमि	श्री लोकेश, मुकेश पिता श्रवण कुमार व.मु. भिकुबाई बेवा श्रवण कुमार	110	0.09
26	कृषि भूमि	श्री सेत खा पिता खाजुखॉ जाति मेवाती	111/1/1	0.088
27	कृषि भूमि	श्री सेत खा पिता खाजू खां जाति मेवाती	121/1	0.05
28	कृषि भूमि	श्री शिवनारायण पिता चम्पालाल	114	0.17
29	कृषि भूमि	श्री कैलाश पिता रामदेव	116	0.13
30	कृषि भूमि	श्री सुकराम पिता भीका जाति गुजर	151	0.18
31	कृषि भूमि	श्री अमरसिंह पिता भीकाजी जाति गुजर	154/1	0.044
32	कृषि भूमि	श्री नर्मदाप्रसाद पिता भीकाजी	154/2	0.0528
33	कृषि भूमि	श्री गेन्दालाल पिता भीकाजी जाति गुजर	154/3	0.0528
34	कृषि भूमि	श्री किशोर पिता परसराम	168	0.03
35	कृषि भूमि	श्री किशोर पिता परसराम गुर्जर	169	0.03
36	कृषि भूमि	श्री किशोर पिता परसराम	170	0.03
37	कृषि भूमि	श्री खुशयाल पिता किशोर जाति गुर्जर	171	0.03
38	कृषि भूमि	श्री खुशयाल पिता किशोर जाति गुर्जर	172	0.03
39	कृषि भूमि	श्री रामकिशन पिता प्रताप जाति गुर्जर	178	0.08
40	कृषि भूमि	श्री नर्मदाप्रसाद, सुरजसिंह, रामकिशन, लक्ष्मीनारायण पिता प्रतापरेवाबाई, सावित्रीबाई उमाबाई रमाबाई ललीताबाई, रामबाई, गायत्रीबाई पिता प्रताप, शांताबाई देवा प्रताप	396/1	0.09
41	कृषि भूमि	श्री रामनारायण पिता मयाराम जाति गुर्जर	403/1	0.0132
42	कृषि भूमि	श्री लक्ष्मीनारायण पिता मयाराम	402	0.17
43	कृषि भूमि	श्री जितेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण	403/2	0.62

कुल सर्वे नंबर- 43 कुल प्रस्ताव -01

उपरोक्त कृषकों की भूमि देवास जिले के दतुनी नहर परियोजना फेस-2 के निर्माण के अंतर्गत ग्राम डेहरिया की उपरोक्तानुसार भूमि राज्य सरकार के संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 5872-भू-अर्जन-17

छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 जून 2017

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 373/8/21/13/लघु /31- 943 भोपाल, दिनांक 08.04.2013 के द्वारा लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-बंधानी प0ह0न-56, ब.न.-188, रा.नि.म.-अमरवाड़ा	रकबा 12.000 हेक्टेयर एव उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा	बंधानी जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा तहसील-अमरवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

रा. प्र. क्र. 01-अ-82-2016-2017-भू-अर्जन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 मई 2017

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत बांकानागपुर जलाशय के बांध निर्माण के डुब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में बांकानागपुर जलाशय के बांध निर्माण के डुब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

--:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-झंझरिया उर्फ खुटिया प0ह0न0-56 ब0न0-207, रा0नि0म0 -छिन्दवाड़ा-3 तहसील-छिन्दवाड़ा,	श्री धुन्धीप्रसाद पिता मुंशीराम अहीर, निवासी ग्राम भूमि स्वामी	840/2 846/2	0.100 0.220	बांकानागपुर जलाशय के बांध निर्माण के डुब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
		कुल योग			0.320 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 9349-भू-अर्जन-2016-2017

धार, दिनांक 20 जून 2017

::प्रारंभिक अधिसूचना::

(अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रं. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क.31) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम नौगाँव बुजुर्ग तहसील धार जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) कि धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क.31) के निर्माण में प्रभावित होने से	1.051	0.177	1.228
	योग	1.051	0.177	1.228

अनुसूची (2)

नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क. 31) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम नौगाँव बुजुर्ग तहसील धार की प्रभावित भूमि का विवरण

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	प्रकाश, देवेन्द्र, धनराज पिता राजाराम जाति माली निवासी ग्राम नौगाँव बुजुर्ग	460/2	0.674	0.000	0.674	0.010	0.000	0.010
2	रमेशचन्द्र पिता रूगनाथ जाति माली निवासी ग्राम नौगाँव बुजुर्ग	460/3	0.673	0.000	0.673	0.020	0.000	0.020
3	कलाबाई पति स्व. पन्नालाल, नन्दराम, कैलाश, सेवाराम, सोमेश्वर, सुगणाबाई, पार्वतीबाई पिता पन्नालाल जाति माली निवासी ग्राम नौगाँव बुजुर्ग	459	1.830	0.000	1.830	0.126	0.000	0.126

4	अजयितकृष्ण पिता अशोक जैन निवासी ग्राम धार	468/2	1.694	0.000	1.694	0.182	0.000	0.182
5	दिनेश पिता चैनसिंह जाति पुरव्या निवासी ग्राम नौगाँव बुजुर्ग	468/1/3	0.530	0.000	0.530	0.075	0.000	0.075
6	अर्जुन पिता चैनसिंह जाति पुरव्या निवासी ग्राम नौगाँव बुजुर्ग	468/1/4	0.370	0.000	0.370	0.070	0.000	0.070
		469/1/1	0.090	0.000	0.090	0.010	0.000	0.010
7	श्रीमसिंह पिता चैनसिंह जाति पुरव्या निवासी ग्राम नौगाँव बुजुर्ग	469/1/2	0.360	0.000	0.360	0.025	0.000	0.025
		469/1/3	0.200	0.000	0.200	0.035	0.000	0.035
		470/1/1	0.000	0.014	0.014	0.000	0.014	0.014
8	मोहनलाल पिता नारायण जाति माली निवासी ग्राम नौगाँव बुजुर्ग	933/1/1	0.280	0.040	0.320	0.020	0.010	0.030
9	रीना पति राजेश चौहान जाति माली निवासी ग्राम नौगाँव बुजुर्ग	933/2/1	0.000	0.052	0.052	0.000	0.011	0.011
10	किशोर पिता रमेशचन्द्र जाति माली निवासी ग्राम नौगाँव बुजुर्ग	933/2/2 /1	0.384	0.000	0.384	0.050	0.000	0.050
11	जगदीश पिता नारायण जाति माली निवासी ग्राम नौगाँव बुजुर्ग	933/3	0.447	0.000	0.447	0.091	0.000	0.091
12	रुखमाबाई पति स्व. हरिराम, मुकेश पिता श्रीराम जाति माली निवासी ग्राम नौगाँव बुजुर्ग	933/4	0.448	0.000	0.448	0.091	0.000	0.091
13	रामलाल पिता गोपाल जाति माली निवासी ग्राम नौगाँव बुजुर्ग	933/5	0.280	0.100	0.380	0.075	0.000	0.075
14	हेमराज पिता गोपाल जाति माली निवासी ग्राम नौगाँव बुजुर्ग	933/6	0.380	0.000	0.380	0.075	0.000	0.075
15	प्रकाश, अशोक पिता लालचंद जाति माली निवासी ग्राम नौगाँव बुजुर्ग	932/1	0.129	0.126	0.255	0.000	0.072	0.072
16	कपील सिंह पिता बाबुसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम नौगाँव बुजुर्ग	932/2/1 /2	0.000	0.059	0.059	0.000	0.012	0.012
17	शुभाबाई पति स्व. नवलसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम नौगाँव बुजुर्ग	932/2/1 /3	0.000	0.035	0.035	0.000	0.011	0.011
18	पुनमचंद पिता लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी ग्राम नौगाँव बुजुर्ग	932/2/1 /1/1/1	0.000	0.036	0.036	0.000	0.015	0.015
		932/2/1 /1/1/3	0.000	0.024	0.024	0.000	0.010	0.010
19	मनोज पिता कालुराम जाति माली निवासी ग्राम नौगाँव बुजुर्ग	932/2/2	0.000	0.011	0.011	0.000	0.004	0.004
20	शांतीलाल पिता पुनमचंद जाति पाटीदार निवासी ग्राम बडीदा तहसील पिपलोद जिला रतलाम हा.मु. त्रिमुर्ती नगर धार	932/2/1 /1/1/2	0.000	0.039	0.039	0.000	0.009	0.009
		932/2/1 /1/2	0.000	0.034	0.034	0.000	0.009	0.009
21	उंकार पिता मूलचंद जाति माली निवासी ग्राम नौगाँव बुजुर्ग	948/2/2	0.521	0.000	0.521	0.015	0.000	0.015
		948/2/1 /1	0.247	0.000	0.247	0.005	0.000	0.005
22	मनोहर पिता मूलचंद जाति माली निवासी ग्राम नौगाँव बुजुर्ग	948/1	1.100	0.000	1.100	0.036	0.000	0.036
		948/2/1	0.561	0.000	0.561	0.040	0.000	0.040
योग			10.838	0.570	11.408	1.051	0.177	1.228

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश, एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सार्वजनिक सूचना

(देखिये धारा 11)

सागर, दिनांक 17 मई 2017

क्रमांक 63अ-82-16-17-4855

मौजा मढ़खेरा जागीर, पट. ह. नं.-130, तहसील सागर

:: सार्वजनिक सूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत **State Level Expert Appraisal Committee** के ज्ञापन क्रमांक **1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16** द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण
(2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
2. तहसील : सागर
3. ग्राम : मढ़खेरा जागीर
4. पट.ह.नं.- : 130
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 8.005 है.

संरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	रानी दुलैया बेवा हनुमत सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	91	1.040	0.084	
2	जानकी प्रसाद गोबन्दी साकिन बाघराज वार्ड सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	92	1.060	0.076	
3	भूपेन्द्र सिंह पिता फेरनसिंह, सुषमा पुत्री फेरनसिंह, चंद्ररानी बेवा फेरनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	95/1	0.650	0.400	
4	रामसींग पिता प्रहलाद सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	95/2	2.000		
5	रोहित नावालिंग बल्द श्याम सिंह अनीताबाई बेवा श्याम सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	95/3	2.900		
6	रोहित नावा. बल्द श्याम सिंह अनीताबाई बेवा श्याम सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	95/4	1.550		
7	रामपालसींग नावा. बल्द अर्जुनसींग पूरनसींग नावा. बल्द गनेश सींग अजयपाल नावा. बल्द	भूमिस्वामी	97/1	1.910	0.016	

	रूपसींग वली देवीसींग बल्द मंगलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी					
8	देवीसींग पिता मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	97/2	1.200	0.308	
9	रमेश पिता लखन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	144	0.920	0.138	
		भूमिस्वामी	145	1.320	0.013	
10	कमलसींग राजेन्द्र सींग पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	147	0.290	0.132	
11	कमलसींग राजेन्द्र सींग पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	148/1	1.910	0.506	
12	रगवीर पिता ग्याप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	148/2	3.820		
13	धूमन सिंह पिता रगवीर सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	150	0.520	0.204	
14	नरान बल्द प्रहलाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	151	0.300	0.002	
15	कीरत सिंह पिता प्रहलाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	159	0.650	0.194	
		भूमिस्वामी	176/1	1.800	0.396	
16	नरान बल्द प्रहलाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	160	1.660	0.042	
17	रोहित नावालिग बल्द श्याम सिंह अनीताबाई बेवा श्याम सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	179	2.730	0.124	
18	रामसींग पिता प्रहलाद सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	181	1.200	0.212	
		भूमिस्वामी	210	0.550	0.024	
19	रामसींग पिता प्रहलाद सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	182	0.240	0.072	
20	बाबूसिंह पिता प्रहलादसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	183/1	2.020	0.204	
21	रोहित नावालिग बल्द श्याम सिंह अनीताबाई बेवा श्याम सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	183/2	0.500		
22	बाबूसिंह पिता प्रहलादसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	184/1	1.870	0.264	
23	रोहित नावालिग बल्द श्याम सिंह अनीताबाई बेवा श्याम सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	184/2	0.400		
24	विन्दावन पिता आलमसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	203/1	0.280	0.384	
25	देवीसींग पिता मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	203/2	0.800		
26	आनंद पिता प्रानसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	206/2	0.610	0.196	
		भूमिस्वामी	206/7	1.000	0.088	
27	रामजीसिंह पिता दुरगसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	206/3	0.400	0.019	
28	प्रकाश बल्द दुरगसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	206/8	0.400	0.196	
29	भागीरथ पिता मठोला साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	223	0.190	0.072	
30	देबेन्द्र सींग पिता जगतीसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	224/1	0.580	0.114	
31	हरीसींग पिता जगतसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	224/2	0.480	0.114	
		भूमिस्वामी	225	0.100	0.036	
32	मन्नु पिता छोटेला साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	226	0.610	0.160	
33	सुनील पिता प्यारेला साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	239	1.330	0.136	

34	प्यारेलाल पिता हीरा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	240/1	0.700	0.172
35	विन्दावन पिता आलमसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	251/1	2.130	0.120
		भूमिस्वामी	251/2	0.800	
36	राजकुमार पिता हनमत सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	996/1	0.230	0.168
37	चेनसींग पिता हनमत सिंह सविता बाई पति चैन सिंह रूपवती सचिन मोनिका अनुज ना.बा. बल्द चैन सींग वली माँ सविताबाई पति चैनसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	996/2	0.080	
38	शांति बाई पति जगभान सिंह साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	996/3	0.240	
39	जानकी प्रसाद गोबन्दी साकिन बाघराज वार्ड सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	996/4	0.230	
40	बालाप्रसाद पिता पूरनलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	998	0.400	0.136
41	रतन पिता हल्के साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	999/1	1.700	0.176
42	नवलसींग पिता मनमोद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	999/2	2.400	
43	महेन्द्र कुमार पिता रामेश्वर साकिन रजवांस भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	999/4	0.400	
44	शालकराम पिता पूरनलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1002	1.380	0.308
45	बालाप्रसाद पिता पूरनलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1003	1.840	0.224
46	राकेश सोमनाथ धरमदास दिलीप कुलदीप सावित्री, कौशलया पिस. घसीटा रामरानी बेवा घसीटा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1008/1	1.550	0.392
47	राकेश पिता घसीटे साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1008/2	1.300	
48	सपना दुर्गा सुनीता संध्या हेमलता कल्लोबाई नावा. पुत्री माखन वली व खुद मां सोनाबाई बेवा माखन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1010/1	0.760	0.028
49	सोमनाथ पिता घसीटा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1010/2	0.400	
50	सुशीलाबाई पति रविशंकर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1011	2.220	0.387
		भूमिस्वामी	1015	0.940	0.308
51	राजकुमार पिता हनमत सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1021/1	0.100	0.002
52	चेनसींग पिता हनमत सिंह, सविताबाई पति चैनसिंह, रूपवती, सचिव, मोनिका, अनुज नाबालिग वल्द चैनसींग वली माँ सविताबाई पति चैनसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1021/2	0.110	
53	शांति पति जगभान साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1021/3	0.110	
54	जानकी प्रसाद गोबन्दी पिता गोबन्दी साकिन बाघराज वार्ड सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1021/4	0.100	
55	अरविन्द पिता राजा सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1026	0.350	0.176
		भूमिस्वामी	1032	1.150	0.340
56	काशीबाई बेवा मंगल सींग देवीसींग अर्जुन गनेश रूपसींग पिता मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1027	0.200	0.004
		भूमिस्वामी	1029	2.450	0.001
		भूमिस्वामी	1039	0.890	0.024

57	काशीबाई वेवा मंगल सींग देवीसींग अर्जुन गनेश रूपसींग पिता मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1030/1	0.150	0.116
		भूमिस्वामी	1030/2	0.150	
		भूमिस्वामी	1030/3	0.150	
		भूमिस्वामी	1030/4	0.150	
58	राजासिंह पिता मुरलीधर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1031	1.000	0.196
		भूमिस्वामी	1033	0.930	0.001
		भूमिस्वामी	1034	0.540	0.072
59	वीरसींग यशवंत सींग पिता नरानसींग लीलाबाई उषाबाई शीलाबाई पुत्री नरानसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1036	1.100	0.001
60	गोविन्द सिंह पिता राजासिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1037	1.600	0.124
योग:-			75	72.720	8.005

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 43 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ.(राजस्व) सागर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला-सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 64अ-82-16-17-4856

मौजा बेरखेड़ी मड़िया, पट. ह. नं.-133, तहसील सागर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण
 (2) भूमि का विवरण :
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : बेरखेरी मड़िया
 4. पट.ह.नं.- : 133
 5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 1.455 है.

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में)	अर्जित रकवा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	विन्द्रावन वल्द निजाम साकिन देह	भूमिस्वामी	240	1.600	0.048	
2	श्री देवी दुर्गाजी मुह.महाराजसींग वल्द धरमसींग पता सा. देह	भूमिस्वामी	241	5.250	0.720	
3	राजकुमार वल्द रूपसींग पता सा. सींगना	भूमिस्वामी	242	0.550	0.130	
4	रूपसींग गोविंदसींग पिस. डोमन अवधरानी बेवा डोमन पता सा. सींगना	भूमिस्वामी	243	4.350	0.293	
5	हिम्मत बल्द छुट्टी गुमानोबाई पुत्री छुट्टी भगोतीबाई बेवा छुट्टी दलपत मंगल पिता नंदलाल माखन गुड्डू नावा. पिस. रज्जू वली मां सुहागरानी पति राजू पता सा. अगरा	भूमिस्वामी	245	6.180	0.264	
योग:-			05	17.930	1.455	

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन

और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 43 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ.(राजस्व) सागर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला-सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 65अ-82-16-17-4857

मौजा सींगना, पट. ह. नं.-131, तहसील सागर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 8(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : सींगना
 4. पट.ह.नं.- : 131
 5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : है.

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में)	अर्जित रकवा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	रामनाथ पिता राजाराम साकिन पथरिया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	300/1	0.750	0.048	
2	कमल राजेश पिता मोतीलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	300/2	0.800		
3	शंकरसींग बल्द कमोदसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	302	1.610	0.396	
4	उत्तम पिता मनु सिंह सेन निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	326/1	0.660	0.031	
		भूमिस्वामी	326/2	0.300		
5	दामोदर पिता प्रहलाद उत्तम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	336/1	1.220	0.408	
		भूमिस्वामी	336/2	0.300		
		भूमिस्वामी	336/3	0.380		
6	दामोदर पिता प्रहलाद उत्तम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	337	1.260	0.216	
7	प्रकाश पिता बंशी साकिन बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	341/1	0.510	0.132	
8	प्रकाश, देवेन्द्र वीरेन्द्र धर्मेन्द्र पिता बंशी, मीनू पिता वंशी, फूलाबाई देवा वंशी साकिन बिलहरा	भूमिस्वामी	341/2	1.210	0.281	
9	बारिलाल बल्द ब्रजा हल्का पिता घासी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	354/1	0.540	0.191	
10	केशाराम पिता दुर्जन सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	354/2	0.630		
11	शिवराज पिता रूपसींग जमना मानसींग पिता हल्कू श्यामरानी बेवा हल्कू मुरलीधर कुन्तीबाई पिस. गणेश कमलरानी बेवा गणेश पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	355	1.850	0.180	

12	भागीरथ पिता हरी सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	365/1	1.260	0.336	
13	राजाराम बल्द लल्जू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	365/2	0.410		
14	नरबदा पिता भागीरथ चद्दार साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	365/3	0.200		
15	हल्लेभाई पिता भागीरथ चद्दार साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	365/4	0.600		
16	गजराजसींग पिता गनेशसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	366	0.600	0.151	
17	उदयमान पिता लखन सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	389	0.800	0.054	
18	गजराजसींग पिता खिलनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	390	0.820	0.280	
19	सराजेरानी बेवा विन्दावन कमलेश माधव नावा. पिता विन्दावन वली माँ सरोजरानी बेवा विन्दावन, गीताबाई कुवरबाई पिता विन्दावन वली माँ सरोजरानी बेवा विन्दावन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	391/1	1.090	0.012	
20	कमलेश माधव नावा बल्द विन्दावन गीताबाई कुवरबाई नाबालिग पुत्री विन्दावन वली आज्ञा गजराज बल्द खिलान साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	391/2	0.550		
21	गनेसप्रसाद पिता बटदूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	392	1.470	0.324	
22	बलराम, मुकेश पिता हल्कू तुलसाबाई बेवा हल्कू चन्दाबाई ललताबाई राजकुमारी सपना पुत्री हल्कू साकिन बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	393/1	0.480	0.012	
23	रवि, राहुल, देवकी पिता हल्लूराम साकिन मोहननगर वार्ड सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	393/2	1.200		
24	रमेश पिता लखन सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	381/1	1.370	0.402	
25	उदयमान पिता लखन सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	381/2	1.370		
26	कृष्णकुमार पिता लखन सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	381/3	1.370		
27	दिनेश सींग नावा. बल्द व वली कृष्णासींग बल्द लखनसिंह साकिन बदनौना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	381/4	1.370		
28	बलराम पिता गरीब दास साकिन तिली वार्ड सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	377/1	0.360	0.173	
		भूमिस्वामी	377/3	0.890		
29	सुहागरानी पति रामलाल साकिन बाछलोन भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	417	1.410	0.312	
30	दरयावसींग पिता अजीता साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	418	0.720	0.012	
योग:-			34	30.360	3.951	

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 43 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ.(राजस्व) सागर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 66अ-82-16-17-4858

मौजा पिपरिया, पट. ह. नं.-129, तहसील सागर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : पिपरिया
 4. पट.ह.नं.- : 129
 5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 1.898 है.

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	बलराम पिता रन्जोर शा. देह	भूमिस्वामी	147/1	0.560	0.136	
2	सीतारामसींग, गोविन्दसींग पिता रनजोरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	147/2	0.550		
3	विजयसींग पिता नारायण सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	147/3	0.280		
4	भूपेन्द्र सुरेन्द्र पिता बदन सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	147/4	0.280		
3	महादेव पिता प्रेमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	147/5	0.550	0.044	
4	भगवान सींग वल्द धानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	150	1.080		
5	महादेव पिता प्रेमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	155/1	1.930	0.248	
6	गोरी पिता प्रेमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	155/2	1.930		
7	चतुर्भुज पिता प्रेमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	155/3	1.920		
8	अनूपरानी पति मनोहर सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	261/1	0.590	0.636	
9	स्वदेश पिता मनोहर सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	261/2	2.000		
10	सतेन्द्र बल्द मनोहर सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	261/3	2.000		
11	राघवेन्द्र सिंह पिता विजय सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	262	0.740	0.031	
12	महेन्द्रसींग पि. भगवानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	164	0.600	0.014	
13	निर्मय सींग वल्द जगन्नाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	138	0.050	0.284	
14	प्रेमसींग पिता अमोलसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	169	0.060	0.003	
15	प्रभू वल्द परमू साकिन देह	भूमिस्वामी	170	0.050	0.016	
16	राजेन्द्र पिता बैजनाथ गीता बेवा बैजनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	172	0.100	0.012	

17	सीतारामसींग गोविन्दसींग पिता रनजोरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	173	0.060	0.012
18	सुकके गोविन्द पिता बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	178/1	0.050	0.002
19	दामोदर द्वारका गुड्डा संजय प्रभाबाई इमरती पिता बिहारी शा. देह	भूमिस्वामी	178/2	0.060	
20	अरविन्द सुरेन्द्र पिता प्रतापसिंह रामरानी बेवा प्रतापसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	183	0.380	0.159
21	गनेश सिंह पिता विजयसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	184	0.620	0.154
22	सुरेन्द्र सींग पिता वदनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	265	1.310	0.148
योग:-			24	17.750	1.898

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 43 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ.(राजस्व) सागर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला-सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 69अ-82-16-17-4861

मौजा निटरी, पट. ह. नं.-122, तहसील सागर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | |
|--|---|---|
| (1) परियोजना का नाम | : | परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण |
| (2) भूमि का विवरण | : | |
| 1. जिला | : | सागर |
| 2. तहसील | : | सागर |
| 3. ग्राम | : | निटरी |
| 4. पट.ह.नं.- | : | 122 |
| 5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : | : | 3.628 है. |

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में)	अर्जित रकवा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	शोभा बल्द हल्का पता साकिन सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	103	3.140	0.029	
2	माधव भूपत रामप्रसाद पिता हल्का पता सा. सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	104	2.600	0.068	
		भूमिस्वामी	109	2.950	0.216	
4	भागीरथ बल्द हल्का पता सा. सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	105	0.260	0.246	
3	कच्छेदी पिता कलू साकिन सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	110/1	1.900		
4	इमरती बाई पिता कच्छेदी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	110/2	1.900	0.198	
5	नरेश पिता कच्छेदी सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	110/3	0.560		
6	धर्मचंद भागचंद उत्तमचंद पिता अयोध्याप्रसाद मुन्नी बाई कमलाबाई पिता अयोध्याप्रसाद पता बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	126	0.410	0.414	
7	सुनीलकुमार उर्फ रीतुलकुमार बल्द रमेशचंद पता सा. बडा बाजार सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	128/1	3.200		
8	राजेंद्रकुमार उर्फ रीतेश-कुमार बल्द रमेशचंद पता सा. बडा बाजार सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	128/2	2.990	0.828	
9	मोनू उर्फ राहुल कुमार बल्द महेन्द्रकुमार साकिन बडाबाजार सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	128/3	3.250		
10	अर्चित कुमार ना. बा. बल्दवली संतोषकुमार पता सा. बडा बाजार सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	128/4	3.240		
11	रामकिशन हनुमत मोहन सुन्दर पिता गोले भागबाई जानकीबाई पुत्री गोले मूलचंद, खेतसिंह, नन्हेभाई पिता खुशाल साकिन सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	130/1	0.310	0.360	
12	धर्मचंद भागचंद उत्तमचंद पिता अयोध्याप्रसाद मुन्नी बाई कमलाबाई पिता अयोध्याप्रसाद पता बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	130/2	0.880		
13	नरेश पिता कच्छेदी सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	132/1	0.800	0.276	
14	राम कुमार पिता कच्छेदी सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	132/2	0.410		
15	राधे महाराज सींग पिता मनमोहन सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	142/1	1.260	0.396	
16	आशीष बल्द अशोक कुमार साकिन बाहूबली कालोनी सागर	भूमिस्वामी	142/2	1.240		
17	पवन कुमार पिता रवि शंकर तिवारी साकिन देह	भूमिस्वामी	189	0.330	0.174	
18	पुष्पा पति जगदीश पता सा. सदर बाजार सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	187	0.630	0.423	
योग			20	32.260	3.628	

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अप्रिम कार्यवाही करेंगे।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 43 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ.(राजस्व) सागर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला-सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

सागर, दिनांक 7 जून 2017

क्रमांक 74-अ-82-16-17-5450

मौजा सिमरिया, पट. ह. नं.-138, तहसील सागर
मौजा बिलहरा, पट. ह. नं.-134, तहसील सागर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण
(2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
2. तहसील : सागर
3. ग्राम : सिमरिया / बिलहरा
4. पट.ह.नं.- : 138 / 134
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 4.402 है.

सरल क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिमरिया	चेनसींग पिता गफलू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	33/1	0.600	0.010	
2	सिमरिया	संतोष कुमार पिता बैजनाथ प्रसाद साकिन बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	33/2	1.200		
3	सिमरिया	लखनप्रसाद पिता रगवीर प्रसाद सां देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	33/3	0.180		
4	सिमरिया	राजकुमार पिता रगवीर प्रसाद साकिन बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	33/4	0.420		
5	सिमरिया	बृजलाल बल्द नंदनलाल साकिन बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	35/1	2.510	0.2150	
6	सिमरिया	संतोष पिता बैजनाथ साकिन बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	35/2	1.210		
7	सिमरिया	चन्द्रभान पिता नंदनलाल आरतीबाई पति चन्द्रभान सांकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	35/3	1.100		
8	सिमरिया	मायाबाई पति नत्थूसिंह साकिन खेजराभाफी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	64	2.400	0.3000	

9	सिमरिया	नत्थू सिंह पिता रनजीत सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	65/1	1.200	0.2340	
10	सिमरिया	मुन्नीबाई बेवा बंदीसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	65/2	0.100		
11	सिमरिया	राजेश कुमार पिता उदयचंद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	65/3	0.800		
12	सिमरिया	पन्नालाल वल्द भदई पता सा. बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	66/1	1.890	0.0710	
13	सिमरिया	देवेन्द्र पिता किशनलाल मथुराबाई वेवा किशनलाल पता सा. बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	66/2	2.290	0.0656	
14	सिमरिया	धनीराम वल्द भदई पता सा. बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	66/3	2.290	0.1062	
15	सिमरिया	महीपसींग पिता बारसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	67/1	1.550	0.1680	
16	सिमरिया	कुसुमरानी पति अच्छेलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	67/2	0.400		
17	सिमरिया	इमरत सींग पिता बारसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	67/3	1.670		
18	सिमरिया	सुरेन्द्र सिंह पिता विजय सिंह पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	68	0.970	0.0140	
			भूमिस्वामी	69	0.300	0.0400	
19	सिमरिया	अभय पिता गुलाब पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	70	1.480	0.0625	
20	सिमरिया	नर्मदाबाई बेवा फूलसींग मिट्टू रामरतन, पिता फूलसींग साकिन देह भूमिस्वामी अहस्तातरणीय	भूमिस्वामी	92/1	0.340	0.0630	
21	सिमरिया	नर्मदाबाई बेवा फूलसींग मिट्टू रामरतन, पिता फूलसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	92/3	0.340		
22	सिमरिया	गंधर्व सिंह पिता बारसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	97	0.840	0.0671	
23	सिमरिया	नत्थीबाई पत्नी गंधर्व साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	99/1	1.010	0.0275	
24	सिमरिया	देशराज उर्फ राजा बुन्देला पिता रामजी साकिन केवलारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	99/2	0.800		
25	सिमरिया	रामराज सिंह पिता गंधर्व सींग पता साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	99/3	0.800		
26	सिमरिया	अरविन्द पिता गुलाब साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	232	0.540	0.0930	
27	सिमरिया	सरदार बबलू देवेन्द्र पिता दरोगा सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	233	3.080	0.3810	
28	सिमरिया	श्रीमति सुनीताबाई पत्नि सुरेन्द्रसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	235	0.220	0.1310	
29	सिमरिया	अरविन्द पिता गुलाब सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	236/1	1.040	0.0560	
30	सिमरिया	सुरेन्द्र पिता गुलाब सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	236/2	0.960		
	सिमरिया	बेनीबाई सुधा लक्ष्मी छोटी अरविन्द, पिस. गुलाब साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	236/3	0.030		
31	सिमरिया	अवधरानी वेवा रामसेवक गोमती मुन्नीबाई नावा. पुत्री रामसेवक पालक माँ अवधरानी साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	238	0.600	0.0718	
32	सिमरिया	भोले वल्द पुनु पता सा. देह भूमि स्वामी अहस्तातरणीय भूमि	भूमिस्वामी	239	0.210	0.1093	
33	सिमरिया	वीरेन्द्र पिता चैनसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	240/1	1.530	0.1590	
34	सिमरिया	बसंत पिता तेजसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	240/2	1.540		

35	सिमरिया	कपूरीबाई जोजे दरोगासींग साकिन देह	भूमिस्वामी	242	1.820	0.1210	
36	बिलहरा	भगवानदास पिता बब्बू पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	284	0.490	0.091	
37	बिलहरा	माखन पिता भुजवल साकिन देह. भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	285	0.010	0.034	
38	बिलहरा	रगवीरसींग पिता हल्कूसींग साकिन देह भूमिस्वामी नवीनकुमार बल्द गुलाबचन्द साकिन. देह 1350 वर्गफुट भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	286	0.220	0.040	
39	बिलहरा	मगन तुलसीराम पिता रामदास प्रेमदुलैया बेवा रामदास केवलारी वारी बेवा दौलत साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	287	0.010	0.010	
40	बिलहरा	देवेन्द्र सिंह बल्द माधवप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	297	0.050	0.029	
41	बिलहरा	देवेन्द्र सिंह बल्द माधवप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	298	0.320	0.115	
42	बिलहरा	लछमनसिंह पिता रगवीरसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	299	0.100	0.085	
43	बिलहरा	हरीप्रसाद पिता दुर्गाप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	300	1.490	0.002	
44	बिलहरा	रघुवीर पिता हल्कू सींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	286	0.220	0.006	
45	बिलहरा	अरविन्दसींग बृजेन्द्रसींग भूपेन्द्रसींग पिता घूमन सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	309 317	4.120 0.080	0.240 0.015	
46	बिलहरा	राधारानी बेवा छोटेलाल पूनाबाई अहिल्याबाई पुत्री छोटेलाल हरिप्रसाद पिता दुर्गाप्रसाद रगवर पिता नन्नु भूपेन्द्रसींग पिता घूमनसींग साकिन देह. भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	319	0.420	0.184	
47	बिलहरा	सियारानी बेवा वीरसिंह, कुंवरसिंह, लखन सिंह, नारायण सिंह पिता वीरसींग, गीताबाई, विद्याबाई, कुसमबाई, चंदाबाई, मायाबाई, हरीबाई पुत्री वीरसिंह साकिन खैजरामाफी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	318	0.090	0.040	
48	बिलहरा	खुमान बल्द भदई साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1238	1.440	0.007	
49	बिलहरा	सियारानी बेवा रघुवीरप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1240	0.900	0.146	
50	बिलहरा	अवधरानी बेवा भदई उर्फ नन्हूराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	1241 1243	0.160 0.520	0.055 0.084	
51	बिलहरा	रघुवीर प्रसाद शंभूदयाल प्रभूदयाल पिता काशीराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1242	0.190	0.038	
52	बिलहरा	इन्द्र कुमार पिता रगवीरप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1252	1.670	0.128	
53	बिलहरा	रगवर पिता भूरा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1253	0.230	0.090	
54	बिलहरा	रगवर पिता भूरा पता साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1255	1.190	0.100	
55	बिलहरा	प्रभूदयाल पिता काशीराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1256	0.940	0.129	
56	बिलहरा	अवधरानी बेवा भदई उर्फ नन्हूराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1258	0.780	0.168	
योग:-				61किता	55.90	4.402	

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 43 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ.(राजस्व) सागर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला-सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विकास नरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 3 जून 2017

क्रमांक 8631-भू-अर्जन-2017-प्र. क्र. 15-अ-82-2016-17

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमांक 1 में इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम चिकल्या तहसील व जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूचि (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। प्रकरण मे सौशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2) की भूमि की अनुसूचि (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूचि (1)

ग्राम - चिकल्या

तहसील - धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	2.165	0.339	2.504
	योग	2.165	0.339	2.504

अनुसूचि (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम चिकल्या की प्रभावित भूमि का विवरण

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली का कुल रकबा (हेक्टर		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	रामलाल पिता मांगीलाल, हिराबाई पति रामलाल जाति भील निवासी चिकल्या	394/5	0.309	0.000	0.309	0.000	0.015	
2	भेरू पिता नाथु जाति भील निवासी चिकल्या	394/6	0.253	0.000	0.253	0.000	0.124	
3	पूजा पिता कालू अनाबाई पति पूजा जाति भील निवासी चिकल्या	394/7	0.500	0.000	0.500	0.000	0.057	
4	पूना पिता धन्ना जाति भील निवासी चिकल्या	394/8	0.900	0.000	0.900	0.000	0.026	0.026
5	दिमल पिता मोहनलाल जाति कुलमी निवासी चिकल्या	422/4	0.924	0.000	0.924	0.254	0.000	0.254
6	चंदाबाई पति सोहनलाल जाति कुलमी निवासी चिकल्या	423/1	2.446	0.000	2.446	0.650	0.000	0.650
7	अंगुरबाला पति रमेश जाति कुलमी निवासी चिकल्या	424/7	1.045	0.000	1.045	0.150	0.000	0.150
8	मायाबाई पति महेश जाति कुलमी निवासी चिकल्या	424/8	0.366	0.000	0.366	0.088	0.000	0.088
9	कृष्णा पिता शोभाराम जाति कुलमी निवासी चिकल्या	424/13	0.440	0.000	0.440	0.088	0.000	0.088
		424/19	1.020	0.000	1.020	0.170	0.000	0.170
10	आनंदीबाई पिता मांगीलाल जाति कुलमी निवासी चिकल्या	424/17	0.680	0.000	0.680	0.045	0.000	0.045
11	रमेश पिता नरसिंह जाति कुलमी निवासी चिकल्या	429/3	5.800	0.000	5.800	0.720	0.000	0.720
12	मांगीलाल पिता अंबाराम जाति कुलमी निवासी चिकल्या	432/8	0.400	0.000	0.400	0.000	0.117	0.117
	योग		15.083	0.000	15.083	2.165	0.339	2.504

क्रमांक 8633-भू-अर्जन-2017-प्र. क्र. 16-अ-82-2016-17

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम तिरला तहसील व जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। प्रकरण मे सौशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

ग्राम - तिरला

तहसील - धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर मे)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	18.230	0.135	18.338
	योग	18.195	0.143	18.338

अनुसूची (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम तिरला की प्रभावित भूमि का विवरण

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	प्रकाश पिता रामेश्वर जाति कुलमी नि.तिरला	25/1	3.591	0.000	3.591	0.420	0.000	0.420
2	मोहन पिता रामेश्वर जाति कुलमी नि.तिरला	25/2	3.592	0.000	3.592	1.410	0.000	1.410
		42	1.759	0.000	1.759	0.570	0.000	0.570
3	गिरधारी पिता रामधन्द्र जाति कुलमी नि.तिरला	26	3.351	0.000	3.351	0.260	0.000	0.260
4	चुन्नीलाल पिता नरसिंह जाति कुलमी नि.तिरला	27	3.351	0.000	3.351	1.660	0.000	1.660

5	सुगनाबाई पति रामेश्वर जाति कुलमी नि.तिरला	28/1	1.796	0.000	1.796	0.980	0.000	0.980
6	बाबुलाल पिता गणपत जाति कुलमी नि.तिरला	28/2	1.796	0.000	1.796	0.980	0.000	0.980
7	सुखदेव, वासुदेव, राजाराम पिता राधाकृष्ण व मांगुबाई बेवा राधाकृष्ण जाति कुलमी नि.तिरला	33	1.467	0.000	1.467	0.620	0.000	0.620
		37/2	1.941	0.000	1.941	0.060	0.000	0.060
		98	3.718	0.000	3.718	0.850	0.000	0.850
8	रामेश्वर पिता राधाकिशन जाति कुलमी नि.तिरला	34	6.299	0.000	6.299	3.100	0.000	3.100
9	सुभाष पिता नानुराम जाति कुलमी नि.तिरला	41	0.607	0.000	0.607	0.185	0.000	0.185
		95	0.696	0.000	0.696	0.020	0.000	0.020
10	कालुराम पिता राधाकिशन जाति कुलमी नि.तिरला	96/1	0.784	0.000	0.784	0.040	0.000	0.040
11	भेरूलाल पिता राधाकिशन जाति कुलमी नि.तिरला	96/4	4.048	0.000	4.048	0.480	0.000	0.480
12	दिनेश पिता शंकरलाल जाति कुलमी नि.तिरला	97	3.238	0.000	3.238	0.940	0.000	0.940
13	मोतीराम पिता भीमा जाति बलाई नि.तिरला	99	1.569	0.000	1.569	0.320	0.000	0.320
14	जगन्नाथ पिता पूना जाति कुलमी नि.तिरला	100	2.896	0.000	2.896	0.620	0.000	0.620
15	दिनेश, कोशलया, दुर्गाबाई, मनुबाई, शोभाबाई पिता हरचंद जाति कुलमी नि.तिरला	101	3.275	0.000	3.275	1.040	0.000	1.040
16	गोरधन पिता शिवनारायण जाति दर्जी नि.तिरला	128	2.024	0.000	2.024	0.000	0.008	0.008
17	हिरालाल पिता गणपत जाति कुलमी नि.तिरला	142	6.096	0.000	6.096	0.560	0.000	0.560
18	लीलबाई पति अम्बाराम जाति कुलमी नि.तिरला	143	5.249	0.000	5.249	0.050	0.000	0.050
19	कालू पिता नानुराम, भवंरबाई पति कालू जाति भील	146/3	1.000	0.000	1.000	0.000	0.135	0.135
20	दिनेश पिता प्रेमचंद जाति कुलमी नि.तिरला	154/2/1	3.378	0.000	3.378	0.460	0.000	0.460
21	सुगनाबाई पति भागीरथ जाति कुलमी नि.तिरला	154/2/2	0.380	0.000	0.380	0.110	0.000	0.110
		156/1	2.530	0.000	2.530	0.550	0.000	0.550
		156/3	1.036	0.000	1.036	0.290	0.000	0.290
22	दिनेश पिता सीताराम जाति कुलमी नि.तिरला	155	2.566	0.000	2.566	0.005	0.000	0.005
23	विमल पिता राधाकिशन जाति कुलमी नि.तिरला	156/2	3.036	0.000	3.036	0.375	0.000	0.375
24	त्रिलोकचंद पिता अम्बाराम जाति कुलमी नि.तिरला	158	1.455	0.000	1.455	0.510	0.000	0.510
25	कालूराम पिता शंकर जाति कुलमी नि.तिरला	159/1	1.518	0.000	1.518	0.230	0.000	0.230
26	अमोल पिता कालूराम जाति कुलमी नि.तिरला	159/2	2.036	0.000	2.036	0.240	0.000	0.240
27	श्रीराम पिता पूना जाति कुलमी नि.तिरला	164	0.898	0.000	0.898	0.040	0.000	0.040
28	शिवनारायण पिता नंदराम जाति कुलमी नि.तिरला	165	1.771	0.000	1.771	0.220	0.000	0.220
	योग		84.783	0.000	84.783	18.195	0.143	18.338

क्रमांक 8635-भू-अर्जन-2017-प्र. क्र. 13-अ-82-2016-17

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013))

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमांक 1 में इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम मतलबपुरा तहसील व जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूचि (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। प्रकरण में सौशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2) की भूमि की अनुसूचि (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूचि (1)

ग्राम - मतलबपुरा

तहसील - धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	3.360	0.000	3.360
	योग	3.360	0.000	3.360

अनुसूचि (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम मतलबपुरा की प्रभावित भूमि का विवरण

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	भगवान पिता रामा, सुन्दरबाई पति स्व. रामा व अम्बाराम, छगन पिता पन्नालाल जाति माली निवासी ग्राम-मतलबपुरा	11	0.152	0.000	0.152	0.080	0.000	0.080
		12/1	0.759	0.000	0.759	0.250	0.000	0.250
		13	4.717	0.000	4.717	0.640	0.000	0.640
		14/3	4.691	0.000	4.691	0.690	0.000	0.690
		15	0.557	0.000	0.557	0.140	0.000	0.140
2	सागरबाई पति भगवानसिंह जाति माली निवासी ग्राम-मतलबपुरा	19/1	1.341	0.000	1.341	0.140	0.000	0.140

3	रतनलाल पिता रामा जाति भील निवासी ग्राम-मतलबपुरा	19/2	0.253	0.000	0.253	0.190	0.000	0.190
4	रामा पिता गणेश जाति भील निवासी ग्राम-मतलबपुरा	20/2	1.556	0.000	1.556	0.300	0.000	0.300
		51/1	1.081	0.000	1.081	0.090	0.000	0.090
5	शंकरलाल, हुकमीचन्द, बालमकुन्द पिता सुखराम, लाखन परमेश्वर पिता भगवानसिंह, सुगनबाई पति स्व. भगवानसिंह, मनोज पिता पन्नालाल, लक्ष्मीबाई पति स्व. पन्नालाल जाति माली निवासी ग्राम-नौगांव	21	1.341	0.000	1.341	0.120	0.000	0.120
6	चंदाबाई पति प्रशान्त जाति माली निवासी ग्राम-नौगांव	23/1	2.956	0.000	2.956	0.570	0.000	0.570
7	धर्मिकाबाई पति मंगलेश जाति माली निवासी ग्राम-नौगांव	23/8	0.506	0.000	0.506	0.150	0.000	0.150
	योग		19.910	0.000	19.910	3.360	0.000	3.360

क्रमांक 8637-भू-अर्जन-2017-प्र. क्र. 14-अ-82-2016-17

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013))

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम ज्ञानपुरा तहसील व जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। प्रकरण में सौशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

ग्राम - ज्ञानपुरा

तहसील - धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	3.610	0.330	3.940
	योग:-	3.610	0.330	3.940

अनुसूची (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम ज्ञानपुरा की प्रभावित भूमि का विवरण

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	गोविन्द पिता रूपसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम-ज्ञानपुरा	6/2	1.802	0.000	1.802	0.240	0.000	0.240
2	संजय बालिग आशीष नाबा. पिता भगवानसिंह पालनकर्ता माता लक्ष्मीबाई पति भगवानसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम-ज्ञानपुरा	7/1	2.221	0.000	2.221	0.250	0.000	0.250
3	राहुल, शिवम नाबालिग पिता बालकृष्ण पालनकर्ता माता संगीताबाई व संगीताबाई पति बालकृष्ण जाति अहीर निवासी ग्राम-ज्ञानपुरा	7/2	0.700	0.000	0.700	0.110	0.000	0.110
4	गोविन्द पिता हिरालाल जाति अहीर निवासी ग्राम-ज्ञानपुरा	12	2.478	0.000	2.478	0.390	0.000	0.390
5	दुर्गाबाई पति कैलाश जाति भीलाला निवासी तेनसिंग मार्ग कोमडाबाखल घर	13/1	1.000	0.000	1.000	0.150	0.000	0.150
6	हरिसिंह पिता लक्ष्मणसिंह ठाकुर निवासी घर	20/1	1.945	0.000	1.945	0.000	0.250	0.250
7	चन्द्रशेखर पिता लक्ष्मणसिंह ठाकुर निवासी घर	20/2	1.166	0.000	1.166	0.000	0.080	0.080
8	रामेश्वर पिता अंबाराम जाति कुलमी नि.ग्राम-ज्ञानपुरा	25/1/3	0.787	0.000	0.787	0.230	0.000	0.230
9	विष्णु पिता रामेश्वर जाति कुलमी नि.ग्राम-ज्ञानपुरा	25/2	1.012	0.000	1.012	0.230	0.000	0.230
10	कृष्णा पिता रामेश्वर जाति कुलमी नि.ग्राम-ज्ञानपुरा	25/3	1.897	0.000	1.897	0.320	0.000	0.320
11	नागेश्वर पिता अंबाराम जाति कुलमी नि.ग्राम-ज्ञानपुरा	25/5/1	1.133	0.000	1.133	0.220	0.000	0.220
12	जनकसिंह पिता दीलतसिंह जाति अहीर नि.ग्राम-ज्ञानपुरा	26/1	1.474	0.000	1.474	0.290	0.000	0.290
13	जगदीश पिता राधाकिशन जाति कुलमी नि.ग्राम-ज्ञानपुरा	36/1	0.720	0.000	0.720	0.230	0.000	0.230
14	राजु पिता हिरालाल जाति अहीर नि. ग्राम-ज्ञानपुरा	46/1/1	1.516	0.000	1.516	0.060	0.000	0.060
15	भोलेशिंह पिता रूपसिंह व लक्ष्मीबाई पति भोलेशिंह जाति अहीर नि. ग्राम-ज्ञानपुरा	51/3	0.545	0.000	0.545	0.300	0.000	0.300
16	रतनबाई बेवा रामजी जाति कुलमी नि.ग्राम-ज्ञानपुरा	52/1/2 /2	0.055	0.000	0.055	0.010	0.000	0.010
17	रितेश पिता हिरालाल जाति अहीर नि.ग्राम-ज्ञानपुरा	52/1/1	1.265	0.000	1.265	0.170	0.000	0.170
		52/2/1	4.256	0.000	4.256	0.230	0.000	0.230
18	शकुन्तलाबाई बेवा हिरालाल जाति अहीर नि.ग्राम-ज्ञानपुरा	52/2/2	0.250	0.000	0.250	0.150	0.000	0.150
19	चंदनसिंह पिता रूगनाथ सिंह जाति अहीर नि.ग्राम-ज्ञानपुरा	50/3	0.290	0.000	0.290	0.030	0.000	0.030
योग			26.512	0.000	26.512	3.610	0.330	3.940

क्रमांक 8708-भू-अर्जन-2017-प्र. क्र. 12-अ-82-2016-17

धार, दिनांक 6 जून 2017

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013))

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम आथर तहसील व जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। प्रकरण में सौशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

क्र.	ग्राम - आथर विवरण	तहसील - धार		
		अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना हेतु	2.079	1.460	3.539
	योग	2.079	1.460	3.539

अनुसूची (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम आथर की प्रभावित भूमि का विवरण

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	दिलीप पिता रामचन्द्र, पुनीबाई पति स्व. रामचन्द्र जाति माली नि. नौगांव	11/1/1	2.012	0.000	2.012	0.200	0.000	0.200
2	गजानन्द पिता जगन्नाथ जाति माली नि.नौगांव	11/1/2	2.011	0.000	2.011	0.250	0.000	0.250
3	कोशल्याबाई पति गंदालाल गवली नि. नौगांव	11/2/1	1.518	0.000	1.518	0.000	0.230	0.230

4	भेरूलाल पिता मांगू माली नि.नौगांव	11/2/2	2.504	0.000	2.504	0.350	0.000	0.350
5	नारायण पिता शंकरलाल पुरव्या नि. नौगांव	15/1	0.123	0.000	0.123	0.085	0.000	0.085
6	अशोक पिता शंकरलाल पुरव्या नि. नौगांव	15/2	0.044	0.000	0.044	0.044	0.000	0.044
7	प्यारेलाल पिता कन्हैयालाल पुरव्या नि. नौगांव	15/3	0.494	0.000	0.494	0.100	0.000	0.100
8	दुर्गासिंह पिता कन्हैयालाल पुरव्या नि. नौगांव	15/4	0.496	0.000	0.496	0.100	0.000	0.100
9	अनोपसिंह पिता कन्हैयालाल पुरव्या नि.नौगांव	15/5	0.494	0.000	0.494	0.100	0.000	0.100
10	हरिओम पिता कन्हैयालाल पुरव्या नि. नौगांव	15/6	0.496	0.000	0.496	0.100	0.000	0.100
11	दल्लूसिंह पिता कन्हैयालाल पुरव्या नि.नौगांव	15/7	0.490	0.000	0.490	0.140	0.000	0.140
12	भगवान सिंह पिता शंकरलाल पुरव्या नि.नौगांव	15/22	0.598	0.000	0.598	0.100	0.000	0.100
13	दीपक पिता भगवानसिंह पुरव्या नि. नौगांव	22	0.443	0.000	0.443	0.230	0.000	0.230
14	लक्ष्मणसिंह पिता सरवनसिंह पुरव्या नि.नौगांव	23	0.873	0.000	0.873	0.280	0.000	0.280
15	सुनील पिता शांतीलाल जैन नि. कानवन (बदनावर)	39/2/1	3.019	0.000	3.019	0.000	0.650	0.650
16	सुभाष पिता शांतीलाल जैन नि. कानवन (बदनावर)	39/2/2	3.020	0.000	3.020	0.000	0.580	0.580
	योग		18.635	0.000	18.635	2.079	1.460	3.539

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- " इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना हेतु। "

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी धार तथा कार्यपालिक इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार-इन्दौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

क्रमांक 8710-भू-अर्जन-2017-प्र. क्र. 11-अ-82-2016-17

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम नौगांव तहसील व जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। प्रकरण में सौशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

क्र.	विवरण	तहसील - धार		
		अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)	सिंचित	असिंचित
1	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना हेतु	1.540	0.000	1.540
	योग	1.540	0.000	1.540

अनुसूची (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम नौगांव की प्रभावित भूमि का विवरण

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	मुर्तजा, इलियास, मुज्जमील, मुद्दसीर, इसहाक पिता एजाज मोहम्मद खान, निवासी मोमिनवाड़ी, धार	559	5.560	0.000	5.560	0.710	0.000	0.710
2	कमलकिशोर, राजेश, किरणबाई पिता रामेश्वर, लीलाबाई पति स्व. रामेश्वर जाति माली नि ग्राम-नौगांव	558/3	1.016	0.000	1.016	0.250	0.000	0.250

3	हिरालाल पिता रामकिशन, सूरजबाई पति स्व. रामकिशन जाति माली निवासी ग्राम-नौगांव	558/2	1.017	0.000	1.017	0.250	0.000	0.250
4	हेमराज पिता मोतीलाल जाति माली नि.नौगांव	558/1	1.017	0.000	1.017	0.310	0.000	0.310
5	भीमसिंह पिता चैनसिंह जाति पुरब्या निवासी नौगांव	556/4	0.607	0.000	0.607	0.020	0.000	0.020
	योग:-		9.217	0.000	9.217	1.540	0.000	1.540

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- " इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना हेतु। "

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी धार तथा कार्यपालिक इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार-इन्दौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 3 जून 2017

क्रमांक अ-82-2016-17-ई.नं.-प्र. क्र. 3-अ-82-15-16

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 के पद 1 में शर्णित भूमि की, अनुसूची-2 के पद 2 में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भू-अर्जन पूर्णवास में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अर्न्तगत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

- (1) भूमि का वर्णन— (क) जिला— मंदसौर
(ख) तहसील— मंदसौर
(ग) ग्राम— नंदावता/साकरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—ग्राम नंदावता 1.566 हे.
ग्राम साकरिया 1.52 हे.

अनुसूची (2)

नंदावता तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण ग्राम नंदावता

स.क्र.	नाम कृषक मय पिता/पति का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	अर्जित किये जाने वाला रकबा			अन्य मलकियत
				सिंचित	असिंचित हे.	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	धापुबाई बेवा राजमल कुल्मी	22/2	0.233	0.233	—	0.233	
2	जगदीश पिता शंभुलाल भील	22/1	0.233	0.233	—	0.233	
3	पवनकुमार पिता देवेन्द्रकुमार ब्राह्मण	21/2	0.888	0.400	—	0.400	
4.	राजू पिता घीसालाल मेहतर	33/6	0.500	0.500	—	0.500	
5.	महेश पिता रतनलाल खटीक	28/2	0.345	0.200	—	0.200	
	योग		2.199	1.566	—	1.566	
नंदावता तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण ग्राम साकरिया							
1	फारूख, मुश्ताक,फरीदा पिता अजीज, कल्लोबी बेवा अजीज पिंजारा	290/2	0.52	0.30	—	0.30	
2	जन्नत बी पति इब्राहीम पिंजारा	290/1	0.52	0.30	—	0.30	
		188/मिन-1	0.20	0.20	—	0.20	
3	सायरा बी पति कयूम अजमेरी मुसलमान	187/मिन 2	0.20	0.20	—	0.20	
		187/मिन1 मिन2	0.52	0.52	—	0.52	
	योग:-		1.96	1.52	—	1.52	
	महायोग:-		4.159	3.086	—	3.086	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- नंदावता तालाब योजना हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मंदसौर के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्रकुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 9 जून 2017

क्रमांक 1835-भू-अर्जन-2017

प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2015-16 /भू-अर्जन/उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम - घाना बहेड़िया

तहसील- उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	घाना बहेड़िया	रूपनारायण आ. रेशमप्रसाद जाति ब्राम्हण नि. गायव्यान भू स्वामी	516/2 515/2/1	0.308 1.031	0.009 0.101	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की छातैर उप नहर हेतु
2		कमलेश प्रसाद आ. द्वारका प्रसाद जाति ब्रा. निवासी गायव्यान भू स्वामी	515/2/2	3.059	0.448		
3		केशव सिंह आ. शिवराजसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	513	4.824	0.531		
4		राधावाई वेवा अनूपसिंह, अरविंद, बलदेव, प्रहलाद, आ. अनूप सिंह जाति रघु. निवासी ग्राम भू स्वामी	514	4.824	0.009		
5		रामेश्वरदयाल आ. लक्ष्मणप्रसाद जाति ब्राम्हण निवासी उदयपुरा भू स्वामी	491/1	1.821	0.232		
6		मयंक कुमार आ. रामेश्वर दयाल जाति ब्रा. निवासी उदयपुरा भू स्वामी	491/2	1.890	0.226		

अनुविभागीय भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. ए-14679

राजगढ़, दिनांक 14 जून 2017

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डीबेह जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ कुण्डीबेह जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - कुण्डीबेह	तहसील - खिलचीपुर	जिला राजगढ़
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
	निजी भूमि कुण्डीबेह जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	
1	ग्राम कुण्डीबेह की भूमि	12.909
2	ग्राम बरुखेडी की भूमि	0.405
	योग	13.314

अनुसूची (2)

(1) कुण्डीबेह जलाशय में ग्राम कुण्डीबेह की भूमि प्रभावित होने से

क्रं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली
1	2	3	4	5
1	यादवसिंह पिता हरिसिंह जाति सौंधिया भू-स्वामी	218	0.152	0.152
		212/87	2.023	2.023
	योग	2	2.175	2.175
2	सम्पतबाई देवा हरिसिंह जाति-सौं.नि.ग्राम भू स्वामी	215	0.139	0.139
		212/23	0.127	0.127
	योग	2	0.266	0.266
3	कमलसिंह पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया भू-स्वामी	216	0.138	0.138
	योग	1	0.138	0.138

4	मांगीलाल, लछमण पिता चेना जाति-चमार नि.ग्राम भू स्वामी	217/1	0.158	0.158
		217/2	0.158	0.158
		326/1	0.050	0.050
		326/2	0.051	0.051
	योग	4	0.417	0.417
5	नाथू पिता लाला जाति बलाई नि.ग्रा. भू-स्वामी	325	0.025	0.025
	योग	1	0.025	0.025
6	मांगीलाल पिता बाबर हि. 33 पैसे ,रमेश ,केलाश पिता शिव मु.सम्पत बाई बेवा शिव ,पूरीलाल पिता कालू बदनबाई ,कचनबाई पुत्री कालू हि.34 पैसे ,नन्दलाल ,बीरम पिता मोती हि.33 पैसे जाति चमार नि.ग्रा. भू- स्वामी	212/58	0.013	0.013
		212/78	0.062	0.062
		219/3	0.202	0.202
		220	0.013	0.013
	योग	5	0.341	0.341
7	रमेश ,केलाश पिता शिव मु.सम्पत बाई बेवा शिव ,पूरीलाल पिता कालू बदनबाई ,कचनबाई पुत्री कालू जाति चमार नि.ग्रा. भू- स्वामी	212/39	0.329	0.329
	योग	1	0.329	0.329
8	दरियावबाई पति पूरीलाल जाति चमार नि. ग्रा.भू-स्वामी	219/1	0.190	0.190
	योग	1	0.190	0.190
9	सूरजबाई ,सम्पतबाइ, भूलीबाई पिता नारायणसिंह मु.घीसीबाई बेवा नारायणसिंह जाति सौ.नि.ग्रा.भू-स्वामी	221	0.220	0.220
		212/77/1	0.021	0.021
		213/2	0.118	0.118
		214/1	0.017	0.017
	योग	5	0.439	0.439
10	किशनलाल पिता रामलाल जाति सौ .नि.ग्रा. भू-स्वामी	212/77/3	0.021	0.021
		213/1	0.118	0.118
		214/3	0.017	0.017
		219/2/3	0.064	0.064
योग	4	0.220	0.220	
11	कालूसिंह पिता रामलाल जाति सौ.नि.ग्रा. भू-स्वामी	212/77/2	0.021	0.021
		213/3	0.118	0.118
		214/2	0.017	0.017
		219/2/2	0.063	0.063
योग	4	0.219	0.219	
12	नाथूलाल पिता जालम जाति बलाई नि.ग्रा. भू-स्वामी	221	0.253	0.253
		223	0.126	0.126
	योग	2	0.379	0.379
13	गेंदा ,घीसा पिता पूरा जाति बलाई नि.ग्रा. भू-स्वामी	225	0.266	0.165
		योग	1	0.266

14	बीरमसिंह पिता भवरीया जाति चमार नि.ग्रा. भू-स्वामी	226/2	0.202	0.152
	योग	1	0.202	0.152
15	भवलाल, रामलाल, रतनलाल, मांगीलाल पिता भेरू बापूलाल, कमलसिंह, फूलसिंह , प्रकाश पिता नाथू, सम्पतबाई बैवा नाथू हि. 90 पैस पन्ना पिता रूगनाथ भूलिबाई, गेदीबाई पुत्रि रूगनाथ हि. 10 पै. जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	226/1/2	0.932	0.275
	योग	1	0.932	0.275
16	खेमराज पिता पन्नाजाति चमार नि.ग्रा. भू-स्वामी	212/1/31	0.618	0.618
	योग	1	0.618	0.618
17	मांगीलाल पिता बदन, धापूबाई पति मांगीलाल जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/9	0.620	0.350
	योग	1	0.620	0.350
18	बदन पिता मोती, नन्दूबाई पति बदन जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/35/4	0.506	0.250
	योग	1	0.506	0.250
19	लाला पिता मोती, पारीबाई पति लाला जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/10	0.618	0.300
	योग	1	0.618	0.300
20	भवलाल पिता लाला जाति चमार नि.ग्रा. भू-स्वामी	212/1/11	0.618	0.260
	योग	1	0.618	0.260
21	बीरम पिता मोती, मांगीबाई पति बीरम जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/12	0.618	0.443
	योग	1	0.618	0.443
22	किशन पिता देवीलाल चम्पीबाई पति किशन जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/13	0.618	0.601
	योग	1	0.618	0.601

23	शिव पिता देवीलाल व श्यांतीबाई पति शिव जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/14	0.618	0.559
	योग	1	0.618	0.559
24	पर्वत पिता देवीलाल, केसरबाई पति पर्वत जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/15	0.618	0.506
	योग	1	0.618	0.506
25	गुलाब पिता काना, अमरीबाई पति गुलाब जाति चमार नि.ग्राम भू स्वामी	212/1/18	0.618	0.360
	योग	1	0.618	0.360

26	किशनलाल शिव पर्वत पिता देवीलाल जतनबाई बैवा देवीलाल हि. 1/2 जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/44	0.405	0.300
	योग	1	0.405	0.300
27	स्तन पिता गुलाब जाति चमार नि.ग्रा. भू-स्वामी	212/1/19	0.618	0.310
	योग	1	0.618	0.310
28	हजारी पिता मांगीलाल धापूबाई पति हजारी जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/23	0.618	0.618
	योग	1	0.618	0.618
29	उकार पिता लक्ष्मण, केसर बाई पति उकार जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/24	0.618	0.618
	योग	1	0.618	0.618
30	मांगीया पिता बाबर सेतानबाई पति मांगीया जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/25	0.618	0.618
	योग	1	0.618	0.618
31	कालूसिंह पिता गुलाब, मेताबीबाई पति कालू जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/16	0.618	0.253
	योग	1	0.618	0.253
32	उकार पिता गुलाब लीलाबाई पति उकार जाति बालई नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/17	0.618	0.126
	योग	1	0.618	0.126

33	बालू पिता मांगीया जाति चमार नि.ग्रा. भू-स्वामी	218/1/26	0.618	0.063
	योग	1	0.618	0.063
34	पन्ना पिता रूगन्नाथ व धापूबाई पति पन्ना जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/30	0.618	0.026
	योग	1	0.618	0.026
ग्राम बरूखेडी की भूमि प्रभावित होने से				
35	शिवसिंह दशरथसिंह, बालूसिंह, अर्मतसिंह पिता लक्ष्मणसिंह, कंवरीबाई बैवा लक्ष्मणसिंह नि.कुण्डीबेह भूस्वामी	74/3	0.405	0.405
	योग	1	0.405	0.405
	कुल योग	55	18.362	13.314

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के

प्र. क्र. ए-14679

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डीबेह जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ कुण्डीबेह जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - कुण्डीबेह		तहसील - खिलचीपुर	जिला राजगढ़
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि कुण्डीबेह जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से		
1	ग्राम कुण्डीबेह की भूमि	12.909	
2	ग्राम बरूखेडी की भूमि	0.405	
	योग	13.314	

अनुसूची (2)

(1) कुण्डीबेह जलाशय में ग्राम कुण्डीबेह की भूमि प्रभावित होने से

क्रं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली
1	2	3	4	5
1	यादवसिंह पिता हरिसिंह जाति सौंधिया भू-स्वामी	218	0.152	0.152
	योग	212/87	2.023	2.023
	योग	2	2.175	2.175
2	सम्पतबाई वेवा हरिसिंह जाति-सौं.नि.ग्राम भू स्वामी	215	0.139	0.139
	योग	212/23	0.127	0.127
	योग	2	0.266	0.266
3	कमलसिंह पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया भू-स्वामी	216	0.138	0.138
	योग	1	0.138	0.138

4	मांगीलाल, लछमण पिता चेना जाति-चमार नि.ग्राम भू स्वामी	217/1	0.158	0.158
		217/2	0.158	0.158
		326/1	0.050	0.050
		326/2	0.051	0.051
	योग	4	0.417	0.417
5	नाथू पिता लाला जाति बलाई नि.ग्रा. भू-स्वामी	325	0.025	0.025
	योग	1	0.025	0.025
6	मांगीलाल पिता बाबर हि. 33 पैसे, रमेश केलाश पिता शिव मु.सम्पत बाई बेवा शिव पूरीलाल पिता कालू बदनबाई, कचनबाई पुत्री कालू हि.34 पैसे, नन्दलाल, बीरम पिता मोती हि.33 पैसे जाति चमार नि.ग्रा. भू-स्वामी	212/58	0.013	0.013
		212/78	0.062	0.062
		219/3	0.202	0.202
		220	0.013	0.013
		224	0.051	0.051
	योग	5	0.341	0.341
7	रमेश, केलाश पिता शिव मु.सम्पत बाई बेवा शिव, पूरीलाल पिता कालू बदनबाई कचनबाई पुत्री कालू जाति चमार नि.ग्रा. भू-स्वामी	212/39	0.329	0.329
	योग	1	0.329	0.329
8	दरियावबाई पति पूरीलाल जाति चमार नि. ग्रा.भू-स्वामी	219/1	0.190	0.190
	योग	1	0.190	0.190
9	सूरजबाई, सम्पतबाई, भूलीबाई पिता नारायणसिंह मु.घीसीबाई बेवा नारायणसिंह जाति सौ.नि.ग्रा.भू-स्वामी	221	0.220	0.220
		212/77/1	0.021	0.021
		213/2	0.118	0.118
		214/1	0.017	0.017
		219/2/1	0.063	0.063
	योग	5	0.439	0.439
10	किशनलाल पिता रामलाल जाति सौ.नि.ग्रा. भू-स्वामी	212/77/3	0.021	0.021
		213/1	0.118	0.118
		214/3	0.017	0.017
		219/2/3	0.064	0.064
	योग	4	0.220	0.220
11	कालूसिंह पिता रामलाल जाति सौ.नि.ग्रा. भू-स्वामी	212/77/2	0.021	0.021
		213/3	0.118	0.118
		214/2	0.017	0.017
		219/2/2	0.063	0.063
	योग	4	0.219	0.219

12	नाथूलाल पिता जालम जाति बलाई नि.ग्रा. भू-स्वामी	221	0.253	0.253
		223	0.126	0.126
	योग	2	0.379	0.379
13	गेंदा, घीसा पिता पूरा जाति बलाई नि.ग्रा. भू-स्वामी	225	0.266	0.165
		योग	1	0.266
14	बीरमसिंह पिता भंवरीया जाति चमार नि.ग्रा. भू-स्वामी	226/2	0.202	0.152
		योग	1	0.202
15	भंवरलाल, रामलाल, रतनलाल, मांगीलाल पिता भेरू बापूलाल, कमलसिंह, फूलसिंह प्रकाश पिता नाथू सम्पतबाई बैवा नाथू हि. 90 पैस पन्ना पिता रूगनाथ भूलिबाई, गेदीबाई पुत्रि रूगनाथ हि. 10 पै. जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	226/1/2	0.932	0.275
		योग	1	0.932
16	खेमराज पिता पन्नाजाति चमार नि.ग्रा. भू-स्वामी	212/1/31	0.618	0.618
		योग	1	0.618
17	मांगीलाल पिता बदन, धापूबाई पति मांगीलाल जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/9	0.620	0.350
		योग	1	0.620
18	बदन पिता मोती, नन्दूबाई पति बदन जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/35/4	0.506	0.250
		योग	1	0.506
19	लाला पिता मोती, पारीबाई पति लाला जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/10	0.618	0.300
		योग	1	0.618
20	भंवलाल पिता लाला जाति चमार नि.ग्रा. भू-स्वामी	212/1/11	0.618	0.260
		योग	1	0.618
21	बीरम पिता मोती, मांगीबाई पति बीरम जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/12	0.618	0.443
		योग	1	0.618
22	किशन पिता देवीलाल चम्पीबाई पति किशन जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/13	0.618	0.601
		योग	1	0.618
23	शिव पिता देवीलाल व श्यांतीबाई पति शिव जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/14	0.618	0.559
		योग	1	0.618
24	पर्वत पिता देवीलाल, केसरबाई पति पर्वत जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/15	0.618	0.506
		योग	1	0.618

25	गुलाब पिता काना अमरीबाई पति गुलाब जाति चमार नि.ग्राम भू स्वामी	212/1/18	0.618	0.360
	योग	1	0.618	0.360
26	किशनलाल शिव पर्वत पिता देवीलाल जतनबाई बैवा देवीलाल हि. 1/2 जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/44	0.405	0.300
	योग	1	0.405	0.300
27	रतन पिता गुलाब जाति चमार नि.ग्रा. भू-स्वामी	212/1/19	0.618	0.310
	योग	1	0.618	0.310
28	हजारी पिता मांगीलाल धापूबाई पति हजारी जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/23	0.618	0.618
	योग	1	0.618	0.618
29	उकार पिता लक्ष्मण केसर बाई पति उकार जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/24	0.618	0.618
	योग	1	0.618	0.618
30	मांगीया पिता बाबर सेतानबाई पति मांगीया जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/25	0.618	0.618
	योग	1	0.618	0.618
31	कालूसिंह पिता गुलाब ,मेताबीबाई पति कालू जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/16	0.618	0.253
	योग	1	0.618	0.253
32	उकार पिता गुलाब लीलाबाई पति उकार जाति बालई नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/17	0.618	0.126
	योग	1	0.618	0.126

33	बालू पिता मांगीया जाति चमार नि.ग्रा. भू-स्वामी	218/1/26	0.618	0.063
	योग	1	0.618	0.063
34	पन्ना पिता रूगन्नाथ व धापूबाई पति पन्ना जाति चमार नि.ग्रा.भू-स्वामी	212/1/30	0.618	0.026
	योग	1	0.618	0.026
ग्राम बरुखेडी की भूमि प्रभावित होने से				
35	शिवसिंह दशरथसिंह, बालूसिंह, अर्मतसिंह पिता लक्ष्मणसिंह, कंवरीबाई बैवा लक्ष्मणसिंह नि.कुण्डीबेह भूस्वामी	74/3	0.405	0.405
	योग	1	0.405	0.405
	कुल योग	55	18.362	13.314

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तरुण कुमार पिथोड़े कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 2 जून 2017

क्र. भू-अर्जन-2016-17-34 (अ-82) 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	करंजिया माल प. ह. नं. 28	0.25	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया, मण्डला.	हालौन सिंचाई परियोजना बांध निर्माण हेतु.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास हालोन संभाग, बिछिया, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2016-17-35 (अ-82) 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	करंजिया माल प. ह. नं. 28	2.31	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया, मण्डला.	हालौन सिंचाई परियोजना बांध निर्माण हेतु.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, हालोन संभाग, बिछिया, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2016-17-36 (अ-82) 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	बिरसा प. ह. नं. 28	0.61	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया, मण्डला.	हालोन सिंचाई परियोजना बांध निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, हालोन संभाग, बिछिया, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	बिरसा प. ह. नं. 28	6.36	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया, मण्डला.	हालोन सिंचाई परियोजना बांध निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, हालोन संभाग, बिछिया, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मण्डला, दिनांक 12 जून 2017

क्र. भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				अधिनियम की धारा 12 के तहत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	भानपुर प. ह. नं. 42	48.772	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, मण्डला.	भानपुर जलाशय हेतु.
			कुल . . : 48.772		

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिछिया या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 5 जून 2017

क्र. 1035-भू-अर्जन-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि अपर पुरवा नहर संभाग के अन्तर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	मरहा	2.706	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत नौवस्ता वितरक की कठार माइनर से मरहा सब माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
			योग . . : 2.706		

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1037-भू-अर्जन-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि अपर पुरवा नहर संभाग के अन्तर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	रंगौली	2.848	कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत नौवस्ता वितरक की कठार माइनर की कठार सब-माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
			योग . . 2.848		

(2) भूमि के नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1039-भू-अर्जन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि अपर पुरवा नहर संभाग माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	रहट	3.540	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत नौवस्ता वितरक की दादर माइनर एक्सटेंशन, रतेंगी माइनर एवं मरहा माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.
			योग . . 3.540		

(2) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1041-भू-अर्जन-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में युक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि अपर पुरवा नहर संभाग के अन्तर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	कठार	2.563	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत नौवस्ता वितरक की कठार माइनर की कठार सब माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.
		योग . .	<u>2.563</u>		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 29 मई 2017

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 37-अ-82-2016-17-2137.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	टिकुरी	0.099	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (म. प्र.).	मेहरो जलाशय योजना के निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 36-अ-82-2016-17-2138.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	घुघरी	3.549	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (म. प्र.).	मेहरो जलाशय योजना के निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 35-अ-82-2016-17-2139.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	रसमोहनी	0.065	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (म. प्र.).	मेहरो जलाशय योजना के निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 38-अ-82-2016-17-2140.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	हरहाटोला	0.015	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (म. प्र.).	मेहरो जलाशय योजना के निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 31 मई 2017

प्र. क्र. 107-अ-82-वर्ष 2015-16.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—गुनौर
- (ग) ग्राम—खभरा, प.ह.नं. 00028
- (घ) क्षेत्रफल—0.980 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
521	0.051	निजी भूमि
520	0.100	निजी भूमि
491	0.036	निजी भूमि
500	0.038	निजी भूमि
501	0.029	निजी भूमि
502	0.024	निजी भूमि
503	0.028	निजी भूमि
482	0.034	निजी भूमि
469	0.036	निजी भूमि
470	0.048	निजी भूमि
460	0.077	निजी भूमि
444	0.046	निजी भूमि
436	0.052	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
437	0.096	निजी भूमि
429	0.216	निजी भूमि
484	0.069	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 0.980

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टिरी गुरने तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु,
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. आईरीन सिंधिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 6 मई 2017

प्र. क्र. 01-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—ग्वालियर
- (ख) तहसील—मुरार
- (ग) ग्राम—डबका
- (घ) क्षेत्रफल—0.660 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
994/1, 995/1, 1122/1	0.320
563/, 1122/2	0.340
योग . .	0.660

- (2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की गनपतपुरा (डबका) मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 02-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—मुरा
(ग) ग्राम—सकतपुरा
(घ) क्षेत्रफल—0.084 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (है. में)
(1)	(2)
648	0.084
योग . . .	0.084

(2) प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की गनपतपुरा शाखा (सकतपुरा) मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 13 जून 2017

क्र. 6257-भू-अर्जन-अ-82-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत

इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—हरदा
(ख) तहसील—हरदा
(ग) नगर/ग्राम—जामुनिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.309 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (2)	विवरण (3)
32/13, 32/14	0.651	सिंचित
33/1	0.267	सिंचित
33/2	0.485	सिंचित
33/3	0.906	सिंचित
कुल रकबा . . .		2.309

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:—माचक उपनहर की स्केप चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हरदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 15 जून 2017

प्र. क्र. 935-रीडर-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु भूमि की आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुशी

(ग) ग्राम—रसवा	(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल—1.837 हेक्टर.	109	0.266
खसरा	111	0.006
नम्बर	75	0.030
(1)	97	0.054
145/2/1	78	0.544
145/1	89	0.126
172/2	90	0.468
178/2/2	92	0.089
145/3/2	93/3	0.020
145/2/2	96	0.006
144	98	0.076
143/2/1	110	0.004
143/3	121/1	0.038
योग . . .	121/2	0.116
	122	0.116
		योग . . . 2.104

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—औंकारेश्वर नहर परियोजना चरण-3 के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में संबंधित व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी, के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

धार, दिनांक 16 जून 2017

प्र. क्र. 9122-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धरमपुरी
(ग) ग्राम—चोकी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.104 हेक्टर.

खसरा	अर्जन हेतु प्रस्तावित
क्रमांक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
45/2ख	0.139
74	0.006

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—“नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क्रमांक 31) के निर्माण हेतु.”

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लि. इंदौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 15 जून 2017

क्र. 4378-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—बालाघाट

- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बोदा, प.ह.नं. 13/2, रा.नि.म. बालाघाट.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.138 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
60/3 क	0.006
60/4	0.077
60/4	0.055
योग . .	0.138

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—दक्षिण पूर्व रेलवे नैनपुर द्वारा ब्राडगेज अमान परिवर्तन हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट dm balaghat @ nic. in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी रा. बालाघाट जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप मुख्य अभियंता (निर्माण) द. पू. म. रेलवे नागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन
 उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 14 जून 2017

प्र. क्र. 03-अ-82-वर्ष 2016-17.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—पन्ना
 (ख) तहसील—अमानगंज
 (ग) ग्राम—जसवंतपुरा, प.ह.नं. 21
 (घ) क्षेत्रफल—4.870 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
770/1	0.370	निजी भूमि
771/1	0.030	निजी भूमि
771/2	0.030	निजी भूमि
771/3	0.030	निजी भूमि
772	0.100	निजी भूमि
943/2	0.060	निजी भूमि
945 -	0.030	निजी भूमि
946/2	0.100	निजी भूमि
958/2	0.040	निजी भूमि
947	0.080	निजी भूमि
959/2	0.030	निजी भूमि
948	0.120	निजी भूमि
949	0.080	निजी भूमि
974	0.040	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
957/6	0.030	निजी भूमि	1418/2	0.120	निजी भूमि
959/3	0.040	निजी भूमि	1419/2	0.010	निजी भूमि
960	0.200	निजी भूमि	1418/1	0.120	निजी भूमि
969/1	0.010	निजी भूमि	1419/1	0.010	निजी भूमि
973	0.220	निजी भूमि	1420/1	0.120	निजी भूमि
977	0.020	निजी भूमि	1421/1	0.010	निजी भूमि
969/2	0.010	निजी भूमि	1415	0.020	निजी भूमि
1018/1	0.060	निजी भूमि	1416/2	0.020	निजी भूमि
1017	0.030	निजी भूमि	1463	0.040	निजी भूमि
1019/1	0.060	निजी भूमि	1464/2	0.010	निजी भूमि
970	0.170	निजी भूमि	1465/1/Ka	0.060	निजी भूमि
975/1	0.060	निजी भूमि	1465/2	0.060	निजी भूमि
975/3	0.060	निजी भूमि	1464/1	0.010	निजी भूमि
976	0.080	निजी भूमि	1465/1/Kha	0.060	निजी भूमि
1018/2	0.150	निजी भूमि	1466	0.010	निजी भूमि
1019/2	0.100	निजी भूमि	1467	0.200	निजी भूमि
1020/2	0.060	निजी भूमि	1468	0.010	निजी भूमि
978	0.020	निजी भूमि	1469/2	0.140	निजी भूमि
1016	0.080	निजी भूमि	1474/1	0.010	निजी भूमि
1384	0.200	निजी भूमि	1475/1	0.080	निजी भूमि
1385	0.010	निजी भूमि	1498	0.010	निजी भूमि
1386/1	0.250	निजी भूमि	1853	0.150	निजी भूमि
1387	0.020	निजी भूमि	1854	0.010	निजी भूमि
1388	0.020	निजी भूमि	1865	0.030	निजी भूमि
1407	0.030	निजी भूमि	कुल अर्जित रकबा . .	<u>4.870</u>	
1409	0.010	निजी भूमि	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जसवंतपुरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.	
1410	0.120	निजी भूमि	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.	
1411	0.130	निजी भूमि			
1412	0.010	निजी भूमि			
1413	0.150	निजी भूमि			

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. आईरीन सिंधिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.